11 SEP 1959

देहली कार्पोरेशन पर एक नज़र

म्युनिसिपल कार्पोरेशन की आयुर्वेदिक फार्मेसी के लिए एक फर्मेसिस्ट की हिन्दुस्तान टाइम्ज और तेज (उर्दू) में २८-७-५६ को तथा हिन्दुस्तान (हिन्दी) में २६-७-५६ को एक मांग प्रकाशित हुई थी। उसमें उन्होंने किसी एक राज्य मान्य संस्था का प्रमाण-पत्र प्राप्त (ग्रेज्वेट) तथा किसी विख्यात आयुर्वेदिक फार्मेसी का सात वर्ष का अनुभवी व आयु चालीस वर्ष तक की मांग की थी और प्रार्थना-पत्र देने की १४-८-५६ तक की अन्तिम तारीख थी।

परन्तु सुना गया है कि एक प्रार्थी श्री धर्मेन्द्रनाथ शास्त्री हैं जिनका प्रार्थना-पत्र २०-८-५६ को आफिस में लिया गया है। और आपकी आयु ५० वर्ष है।

दूसरे इस स्थान के लिए वैद्य लखीराम भारद्वाज (जो कि पहिले दो बार म्युनिसिपल कमिश्नर भी चुने जा चुके हैं। और इस बार भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया) ने प्रार्थना-पत्र दिया है। वह अनक्वाली फाइड वैद्य हैं तथा देहली बोर्ड में पार्ट थर्ड में रजिस्टर्ड हैं। उमर ५५-५६ वर्ष से कम नहीं (यह बात अलग है कि उन्होंने एफेडेविट में ५० वर्ष लिखी हो) मान्य फार्मेसी के अनुभव पर आपने अपनी ही दुकान "भारद्वाज फार्मेसी" का अनुभव लिखा है। (क्योंकि आपने अपनी म्युनिस्पल कमिश्नरी के समय में एक दोबार कच्ची पक्की भस्में कमेटी में सप्लाई करके अच्छे दाम हड़प कर लिये थे) जो कि न पहिले ही फार्मेसी थी और न अब।

परन्तु उनका दावा है कि वह इस स्थान को अवश्य ग्रहण करेगें। और इस बात को कर दिखाने के लिये उन्होंने अपने जाति रसूख के इलावा आफिसरों पर बड़े २ नेताओं का दबाव डलवाना प्रारम्भ कर दिया है। देहली प्रान्त के पांचों एम०पी०यों से सिफारशी चिट्ठी ले आये हैं। और सुना तो यहां तक गया है कि वह इस मामले में गृहमंत्री श्री पंत जी से भी सिफारशी चिट्ठी लाने में नहीं चूके। एक प्रार्थी हैं श्री पांडे जी जिनके लिये श्री परमानन्द जी वैद्य सिफारश करवा रहे हैं और सुनागया है कि सलैकशन बोर्ड में श्री परमानंद जी ने बैठना है।

ऐसे हालात में आफिसरों से न्याय तथा अन्य प्रार्थियों के भाग्य का तो भगवान ही मालिक है।

No. MNS/356 / of 1958-59.
Municipal Nokar Sangh, Chalisgaon.
Dated:-28th Dec. 1958.

To

The Govt. Labour Officer,

Jalgaon, E.K. JALGAON.

Subject:-Retrenchment notices served on the peons working in the Bazaar Vasuli section of the municipality.

Sir,

We have to submit that on 19th Dec. 1958, the President of the municipality has served the retrenchment notices on two peons which are working as the vasuli peons since the year 1954.

Before 16th Nov. 1957, these two peons were working on daily rates system. But what we have to stress here is that they are in the continuous service of the municipality since the year 1954 as has been mentioned above.

As regards the grounds for the retrenchment, the municipality states that, as it has decided to sale "Daily" and "Weekly" Bazars by "auction" from 1st January 1959, the municipality does not require their services with effect from 19th January 1959.

The above said two peons have been given one month notice for retrenchment.

You may be well aware that the municipality has very recently retrenched 4 workers which were working as peons.

As a matter of fact the municipality has got very sound financial position and as such not a single workman is required to be retrenched inorder to minimize or curtail the expenditure being incurred as against the establishment charges. Similarly the municipality does not pay any overhead charges if its income by all ways and means is considered with careful study.

We may further point out here that as the municipality is short of hands, it is not allowing the peons and clerks to get the benefit of the casual and privilege leave for whenever the peons or clerks ask for the above said leave, the

that "as there are no spare workmen" leave cannot be granted. We are also given to understand that for want of sufficient staff the workmen are compelled to attend the duty even they are sick and thus unable to attend the job. We may point out here the contradiction of the municipality which claims as the caretaker of the citizen of this place, does not care for the illhealth of the members of the staff and hence we have to frankly say that this kind of inhuman treatment being given to the members of the staff must be seriously dealtwith.

As a matter of fact the municipality has got three clear vacancies mentioned as under:-

(1)-1 peons vacancy in the Octroi Dept.

(2)-" " " " " P.W.Dept.

(3)-" " " " " Sanitation Dept.

It will be seen from the above that when the municipality has got the above said 3 vacancies of peons it should have filled in the same by absorbing the above said two peons which are working since the last [illegible] years.

We are further reported that, there is a clear vacancy of a peon in the Allopathic Dispensary as per the scedule approved by the Govt. perhaps the municipality may say that it has abolished the post of the peons very recently, but we may say that the municipality cannot abolish the scheduled posts unless it has obtained the privious approval of the Govt.

We may add further that the Govt. is not supporting the retrenchment of employees from their own Dept. or from the semi Govt. institutions as a matter of their policy.

From the facts stated above it will be clearly understood that there are 4 or 5 clear vacancies of peons in this municipality ~~[illegible]~~ and as such the municipality should have absorbed the retrenched peons in the clear vacancies we have pointed above and avoided the retrenchment. But the municipality by retrenching the workers without any proper reason it seems has started attacking the union of the municipal employees and hence we say that if the municipality does not withdraw the notices and absorb these two peons in any of its Dept. ~~[illegible]~~ alongwith

immediately, the union shall be compelled to take such action as it deems necessary.

We therefore request you to move into the matter - immediately and do the needful and oblige.

Yours Faithfully,

R Deshpande
28/12

General Secretary

Copy To :-

The Commissioner ,

Aurangabad Division, AURANGABAD.

" " :- The Collector,

Jalgaon, E.K. JALGAON.

" " :- The President,

Borough Municipality, Chalisgaon.

" " :- Shri :- Com- S.A. Dange,
(F.W.C. for information and action pl.)
General Secretary,

All India Trade union congress,

1 c/15 Rohtak Road,

New Delhi-5

फोन : ४४१७

बम्बई व मध्यप्रदेश मेहतर फेडरेशन

Bombay & Madhyapradesh Mehtar Fedration

अध्यक्ष : भैय्यालाल समन्द्रे
जन. सेक्रेटरी : एस्. चौथमल

कार्यालय, तिलक पुतला,
महाल, नागपुर-२.

क्रमांक

ता. १२ . १ . १९५[illegible]

श्री० प्रधान मंत्री
अखिल भारतीय ट्रेड युनियन कांग्रेस

प्रिय कॉमरेड

बंगलोर में हो रही अ. भा. ट्रे. यु. कां. की जनरल कौन्सिल की सभा में मैं उपस्थित नहीं हो सका इसका मुझे अत्यंत खेद हो रहा है।

मैं बंगलोर जाने की पूरी तैयारी की थी और उस प्रकार से टिकीट भी रिजर्व किया था। किन्तु नागपुर में हमारे मित्रों ने मुझे आग्रह किया है कि, मैं इस समय नागपुर के बाहर नहीं जाना चाहिये। मुझे उनके आग्रह को टालना भी कठीन हो गया है इस कारण मैं बंगलोर ज. कौं. की सभा में न जाने के लिये मजबूर हो गया हूँ। आप मुझे इस समय क्षमा करोगे और आइंदा मैं इस प्रकार की स्थिती निर्माण नहीं होने दूंगा। बंगलोर ज. कौं. के निर्णय हमें मार्गदर्शक होंगे यही आशा है।

आपका

[signature]
चौथमल

Telegrams:- "FEDERATION" Ambala. Telephone: 619.

ALL INDIA CANTONMENT BOARD EMPLOYEES FEDERATION

Town Hall, Saddar Bazar,
Ambala Cantt.

Cir.No.11/59.

February 12, 1959.

Dear Friends,

I have once again felt the need of addressing you on the subject of National Tribunal.

As I have already communicated to you through one of circulars before this about - and as you are also aware - some of the Unions/Associations have not paid attention to the directives of the Federation and have filed seperate statements of claims before the National Tribunal. Whereas Federation concedes the right of every Union/ Association to adopt defensive measures, it views with concern their this move - since this tantamounts to act against the wishes of the Central body. Their this action will do further harm at the time of hearing when the rival party may employ any of the weaker points contained in such statements against the Federation and that may ultimately go against all of the employees through the length and breadth of the country. I may even point out that - God forbids - if such a situation arises through the unrelenting nature of some of us, we will be doomed for ever and all this which we have achieved in such a short time will only form a party of memory.

Keeping in view all these aspects of the situation, I had sent you the last circular which contained a proforma to be sent to the National Tribunal. I am confident all of you must have received that. But I notice that some Unions/Associations knowing fully well the implications and outcomes of their individual and singular efforts, have not so far sent the same to the National Tribunal.

In this connexion I will like such friends to refer to our circular ere this giving information about the move of the Cantt. Executive Officers of Danapur, Saugar, Ahmednagar and their counterparts to form themselves in a Council and face us before the National Tribunal in a well-knit and organised manner. This defence from other side should act as an eye-opener to our friends who still hold the view that they shall fight this issue individually. If the Employer, with all the resources and means at his command to fight the case ffectively are forming themselves in a Council, how can any individual union, with meagre resources afford to fight the case at Bombay is something which Federation has failed to appreciate.

Workers' unity in fighting for their causes is well-known throughout the world. At this momentous juncture when we have gottn the National Tribunal after an extremely hard struggle, we should not give to other party the chance to point out our cracks. I, therefore, earnestly hope that all such Unions who have not so far sent that proforma to National Tribunal should file it and send the same immediately under advice to us. No delay should be caused on this score.

I also will like to take this opportunity to point out - although you are well aware - of the achievement of this Federation. The Federation as you know was formed only less than two years back. Prior to that Cantt. workers were split into groups and they had no united front. But the position today as compared to prevalent then points to a more happy and rosy future provided we continue our concerted efforts and curb the fissiparous tendencies among us. The most notable and pointed one - besides the National Tribunal which will bring us successfully out of our struggle and will provide us with better working conditions and environments, is, the provision of promotion to the ranks of Executive Officers from among the staff. To further ensure this

provision, I met the Directory Military Lands and Cantonments, only on 3rd February,1959, wherein he assure me to hold the examination for the promotion s. This is big achievement and all of us who fulfil the qualifications shall be able to aspire and sit in the exam for the posts.

Perhaps the most remarkable fact is the National Tribunal when we compare ourselves with other worker's organisation and their resources. We are struck with a sense of pride on our unity and strength in getting the National Tribunal in so short a period while all other are still busy in their efforts for the past so many years and still do not know when they will be successfull......

I am therefore confident that all of us once again will manifest the strength and unity which we have been showing in the past and not allow the separatist tendencies to come to the surface. Amen.

As regard the stay in the case of extension at the time of Superannuation and promotion, I assure all freinds who have written about it that stay orders will be obtained when the case starts hearing.

It greatly pains me to pint out time and again that some of the units are slack in sending their affiliation fees and subscriptions etc. regularly. Some have not sent the same for the past two years. As you all know, Federation has no other source of income except the meagre affiliation fee and subscription and it is expected that everyone will cooperate with us in raising the funds of the Organisation. I therefore hope that all of you will realise the situation and will not give me a cause to point out the same again. All the outstanding dues be cleared without any delay.

I assure you to keep you informed of all the developments that may take place and of our best efforts and ~~promotio~~ and cooperation in fighting for our cause. Jai Hind.

Yours faithfully,

J.D. Bakshi

(J.D.Bakshi)
General Secretary

To all affiliated Unions
and members of the Executive Committee.

P.S: I am glad to inform you that Federation has now got its Telegraphic addresse registered with the Postal Authoriti. The address is 'FEDERATION' Ambala. All the telegrams in future should be sent on the above address.

The meeting of the Defence Committee formed for the case before the National Tribunal will be held on 24th of February 1959, at 11-00 A.M. at the residence of Shri Ram Kishan Gupta, M.P., President of the Federation, at 73, North Avenue, New Delhi(Phone: 33296). Please send your suggestions etc. for the meeting. The meeting is an open one and anybody who may like to attend and participate in its deliberation will be welcomed. The reply of the Cantt. Boards which has been received, will be discussed in this meeting.

Reference Hon'ble National Industrial Tribunal,Bombay order No.336/59, dated 11.2.59 has grant final extension to file the written statement to the Cantt. Executive Officers upto 16.3.59. For your information.

It is,therefore, requested that you may please intimate the undersigned regarding ~~the~~ any ~~an~~ activities of the Cantonment Boards.

Bakshi

20 FEB 1959

Tel: 2 52

MUNICIPAL MAZDOOR UNION, BOMBAY

204 CHARNI ROAD
BOMBAY 4

Ref. No. MMU/ 53/ 393/59.

18th February, 1959.

Dear Shri Dange,

I am enclosing herewith copy of the resolution passed by the Managing Committee of our Union on Tuesday, 17th February, 1959. The resolution is self-explanatory. You will please appreciate the circumstances that have compelled the Managing Committee to arrive at such a decision. I, however, still hope that the report will be published before March 4, 1959, and the strike averted.

Yours sincerely,

George Fernandes,
General Secretary.

Encl: 1.

Shri S.A. Dange, M.P.,
Bombay.

Resolution passed by the Managing
Committee of the Municipal Mazdoor Union, Bombay
at its meeting on Tuesday, 17th February 1959.

The Municipal Mazdoor Union submitted a Charter of Demands on behalf of Municipal workmen on the Bombay Municipal Corporation on November 9, 1956. Efforts to arrive at an amicable settlement of the dispute arising out of the submission of these demands having failed due to the adamant attitude of the Municipal Administration, the Union called upon the workmen to prepare for a general strike from the midnight of June 24, 1957. The strike, however, was averted due to a last-minute settlement with the Samyukta Maharashtra Samiti Bloc in the Corporation. By this settlement, the Samiti Party, inter alia, agreed to set up a Wage Structure Committee to go into the demands submitted by the Union. The Union was assured that the Committee would submit its report within three months of its being set up.

The Corporation by its resolution No.478, dated August 2, 1957, set up a 21 member Wage Structure Committee to consider the demands of the workmen and to submit a report thereon. More than 18 months have passed since the Committee was set up, but there is no sign yet of the report.

At the time of the settlement of the two-day general strike of September, 1957, the Union was assured that the report of the Committee would be made available by December, 1957. This assurance was, however, not fulfilled. For the third time , when the agreement that ended the 8-day general strike of Municipal workmen in June, 1958 was signed, a written assurance was given over the signatures of Shri S.A. Dange, Shri S.M. Joshi, Shri Datta Deshmukh and Shri R.D. Bhandare, signatories to the agreement on behalf of the Samiti Party that the report would be submitted by the end of October, 1958. This written wordwas also not honoured.

Replying to the letters addressed to them by the Union on 10th January 1959, the Mayor, Shri S.S. Mirajkar and Shri M. Harris, Floor Leader, gave a written assurance to the Union that the report of the Committee would be made available in the first week of February, 1959. Even this promise has not been fulfilled.

The Managing Committee of the Union by its resolution of
10th January 1959 had given expression to the mind of the

workers on this issue and had warned the Municipal Corporation that the workmen would have to resort to a token strike if the report of the Wage Structure Committee was not published by the first week of February, 1959. The Corporation, however, is evidently unconcerned about the feelings of the workmen on this matter.

In these circumstances, the Managing Committee of the Union has now to come to the painful conclusion that the leaders of the Samiti Party in the Corporation are not serious about honouring the promises they make to the workers. Past experience has also shown that only by strike action can the Municipal workers get a hearing from the leaders of the Corporation. The Committee, therefore, has now no other alternative but to call upon all Municipal workmen to resort to one day's token strike on Wednesday, March 4, 1959 in support of their demand for publication of the report of the Wage Structure Committee.

The Managing Committee appeals to the citizens of Bombay to appreciate the justness of the workers' cause and to pardon the workers for the inconvenience that may be caused on account of the strike.

Moved by George Fernandes,

Seconded by Govind Powar.

Passed unanimously.

True Copy

Fernandes

General Secretary.

(297)

February 19, 1959

Shri George Fernandes,
President,
The B.E.S.T.Workers' Union,
42 Kennedy Bridge,
BOMBAY-4

Sub: Charge sheet in connection with the General Strike of July 26, 1958.

Dear Mr George Fernandes,

I have seen your letter addressed to the AITUC in the above matter.

We have already made it clear that the BEST undertaking is wrong in the steps it has taken against the workers in the matter of the 25th July strike. The Samiti Bloc, as the majority or "ruling party" in the Corporation ought to take a firm stand in this matter and protect the workers as against the highhanded and arrogant authorities of the BEST.

If the Bloc fails to do so, your union and the workers will be perfectly justified in taking any suitable action, even upto the point of strike, they would like to take to protect their rights and interests. The AITUC unions will stand by them.

Yours sincerely,

(S.A.Dange)
General Secretary

20 FEB 1959

THE KARNATAKA MUNICIPAL WORKERS CONFERENCE
BANGALORE-2

The Chairman and the Members of the Reception Committee

request the pleasure of your Company on the occasion of the inauguration of the above Conference

at 6 p.m. on Saturday 21-2-1959

at DEVANGA HOSTEL PREMISES
(Near Corporation offices, Bangalore City)

SRI T. SUBRAMANYA B.A., LL.B.,
Honourable Minister for law, labour and local self Government has kindly consented to inaugurate

SRIMATHI GRACE TUCKER M.A.
Deputy Minister for education has kindly consented to preside

Bangalore
16-2-59
R. S V P.

K. V. VASANTH
Chairman
Reception Committee

February 21, 1959

Com. K.V.Vasanth,
Chairman,
Reception Committee,
Karnataka Municipal Workers Conference
BANGALORE - 2.

Dear Comrade,

Thanks for your invitation to Com. Dange to attend the inauguration ceremony of the Karnatak Municipal Workers Conference.

Due to his preoccupations, it will not be possible for him to attend the inaugurating ceremony.

Please, accept our greetings and good wishes for the success of the conference. We hope that the deliberations of the Conference will help in further cementing the unity of the Municipal Workers and in achieving their just demands.

Yours fraternally,

Feb 21

(K.G.SRIWASTAVA)
Secretary.

Cable : "AITUCONG"

T. U. LAW BUREAU:
R. L. TRUST BUILDING,
55, GIRGAON ROAD,
BOMBAY 4 (INDIA)

अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस
ALL-INDIA TRADE UNION CONGRESS

Telephones : 48771
43414

4, ASHOK ROAD,
NEW DELHI.

President : S. S. MIRAJKAR.
General Secretary : S. A. DANGE, M.P.

217

February 21, 1959

Mr George Fernandes,
General Secretary,
Municipal Mazdoor Union,
204 Charni Road,
Bombay 4.

Dear Mr Fernandes,

I received your letter dated 18th February enclosing the resolution passed by the Managing Committee of the Municipal Mazdoor Union, calling for one day token strike on March 4.

Your conclusion that "the leaders of the Samiti party in the Corporation are not serious about honouring the promises they made to the workers" is not warranged by facts. Nor is your conclusion that only a strike action can get a"hearing from the leaders of the Corporation" very much true.

I think you are quite aware of the fact that the Policy Committee of the Samiti took a decision to enhance the wages of Grade IV on a certain basis and also of other categories of employees. In that same meeting, the question of the teachers, nurses, etc. was taken in hand and their wage scales also were revised. (I am told that steps have been taken to incorporate the increases in wages in the budget formulated this year by the Corporation. I am not however in the know of the detailed facts as I have not seen it myself. I will check on this when I come next to Bombay.)

When you know all this for a fact, it is surprising to find you saying that the Samiti is not serious about its promises. I admit that there has been delay about settling the matter. But there is no reason why, when the Samiti has taken decisions, you should call for a strike on March 4, unless it be to show to the workers that what has already been conceded was done by means of a strike.

I may also point out that this decision of yours is contrary to the agreement which you made with the Samiti on the occasion of the settlement of the last General Strike. In terms of that settlement, I can only say that if you are dissatisfied with the progress made so far, we can refer the matter to a Tribunal or arbitration. In view of the Samiti's position in this matter, I do not think your strike is justified.

Yours sincerely,

S A Dange

(S.A.DANGE)
General Secretary

Memorandum presented on behalf of Municipal Subordinate Services Federation, Punjab, Ambala Cantt, to Pt. Mohanlal, Minister for Local-Self Government Punjab, at Patiala on 4.1.59.

1. Nationalistation of the Services of the Municipal employees:

The demand relates to the nationalistation of the services. As agreed upon we would request you to take necessary steps towards categorization of the services. As you are aware, the employees in the Municipalities are extremely hard up, making it difficult for them to pull on. It is therefore desired that after categorisation, the Pay-scales be revised and they should be entitled to be transferred to other Municipalities of the same category. These provisions will greatly help and reduce the discontent prevailing amongst the workers and ultimately be a cause of good relations between the parties.

In the various Municipalities of Uttar Pradesh, the Government there after categorising the Bodies into three; namely A., B., & C have introduced uniform privileges. It is earnestly hoped that this State will also emulate the U.P.Government and introduce the uniformity of privileges in all the categories of the Bodies. The categories, as agreed upon, should be three, viz; A.B. & C.

2. Merger of 50 % Dearness Allowance in pay:

Recently the Punjab Government in its 1958-59 Budget announced to merge 50% Dearness allowance into the pay-scales of certain categories of its employees. The Central Government is already leading all States in this behalf. It is therefore requested that like the Government employees the Municipal employees should also be extended this privilege. The poor employees get no benefit such as Pension etc. on retirement and the only gain is the provident fund. But when half the Dearness Allowance will be merged with the pay, they will gain something substantial at the time of retirement, more than if the above is carried out.

Your honour had also expressed sympathy with them and I will request to please take early action in the matter.

3. Increase in Provident Fund contribution from $6\frac{1}{4}\%$ to $12\frac{1}{2}\%$.

The contribution of Provident Fund @ $6\frac{1}{4}\%$ as agreed by you is extremely negligible percentage and it is hoped that by now you must have taken some action to increase it as promised with the Deputation and later on announced by the then Minister in an open Session of the Conference at Shahbad.

As provided under the Industrial Disputes Act, we should also be given gratuity at the time of retirement, at the rate of 15 days pay(consolidated) per year. This is a just right of the workers and they should no longer be denied this.

4. House Rent and free accommodation to the employees:

As appreciated in the above Conference at Shahbad the workers mostly live in slums and don't get even the basic amenities of the city life. The houses they get are of old design with no health facilities. The employees cannot afford higher rent to get a decent house. I will therefore request and hope that you may please take steps action in this behalf and issue a directive to all Municipalities in the State to build Colonies of their own, to be given at a later stage, to their employees at cheap hire-purchase system.

5. Gazetted and National Holidays:

The present practice prevalent in the Municipalities is that gazetted and national holidays are enjoyed only by the indoor staff of the Municipality while the out-door staff

..2.

remain on duty all th days of the month. This discrimination should be removed immeditely and I will requestyou to issue a strong dir ctive to all bodies in the State to adopt a uniform policy in the matter. If however it is felt that the out door staff is to remain on duty even on gazetted holidays, they should be compensated in the form of alternate holidays or over-time allowance.

6. Fixed Working hours and 8 hours working day, and weekly rest:

Although a directive has already been issued by the Government in the matter fixing the working day at 8 hours and providing a weekly rest day, it is regrettable that no Municipality is complying with the instructions and even today in almost every Municipality the workers have to perform 18 to 22 hours of duty. This practice should be stopped forthwith by issuing another reminder and prosecuting those bodies under the Minimum Wages Act who do not comply with the government's instructions. The Government should be model employers and should see that whatever directions they give are obeyed by every one.

7. Free Medical Treatment: As your honour agreed, we request you to ask all the Municipalities in the State to fix some percentage in the budgets for purchasing medicines for the poor employees and this percentage should be reimbursed to the workers. It is hoped that directive will be issued immediately if not already done.

8. Monthly conciliation meetings: With a view to early and amicable settlement of the petty matters of differences, the Municipalities may be asked to encourage monthly meetings between the representatives of the registered unions and the departmental officers.

9. Uniforms: All the out-door employees and those who perform shift duties should be supplied uniforms according to the weather.

10. Extension at the time of superannuation: The retirement age should be enhanced from 55 tears to 60 years. Class IV employees in the Government of India also retire at the same age and this privilege should be given to the Municiple employees as well.

11. Negotiations and Machinery's meetings: Negotiations and monthly meetings with the representatives of the Federation should be held in the interest of good and healthy relations and better administration at the following three levels:

1. Low level: With the President of the Committee.
2. Middle level: With the Secretary, Local-Self Govt.
3. Top level: With the Minister of the Local-self Govt.

It will be admitted that the present there is a great amount of wastage and leakars of information and corruption is rampant in the Department. If the above suggestions are agreed upon we assure you that Federation will be able to suggest you better ways of efficient administration leading to huge increase in the Government revenues.

12. Recognition of Federation: We once again advocate this recognition of the Federation. The Federation is the only representative body of the Municipal employees and fights for the rights of workers. We will therefore request to recognize the body at a very early date, as promised by you. We may however add here that if enquired from the Labour Minister as desired by you before recognition, I am sure the Hon'ble Minister will have no objection. If however no enquiry has so far been made, and the Minister matter is resting for this, we will request to get it clarified at a very early date so that the Federation gets recognition at the earliest.

I am confident our above demands will receive sympathetic consideration at your hands.

Yours faithfully,

J Bakhshi

(J.D.Bakshi)
Working President.

18 MAY 1959 18 MAY 1959

राजस्थान म्युनिसिपल कर्मचारी संघ

"Rajasthan Municipal Employees Federation"

प्रधान कार्यालय—
उदयपुर (राजस्थान)

क्रम संख्या आर.एम.के.एस./यु-जी /५६-६० दिनांक 13-5- 1959

प्रिय श्री डांगे साहब,

राजस्थान सरकार ने नगरपालिकाओं के आय-स्त्रोतों के बढ़ाने एवम् म्युनिसीपल कर्मचारियों की सेवा स्थिति की जांच करने के लिये श्री मथुरादास माथुरा, एम.पी. की अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण किया हैं।

'राजस्थान म्युनिसीपल कर्मचारी संघ' द्वारा इस समिति को राजस्थान में स्वायत शासन के विकास, नगरपालिका कर्मचारियों की सेवा-स्थिति, उनकी समस्याओं एवम् मांगों के संबंध में एक ज्ञापन दिया हैं। उक्त ज्ञापन की एक प्रतिलिपि आपके पास भी भेज रहा हूं।

आपका

[signature]
मंत्री.

श्रीमान एस.ए. डांगे साहब
~~अध्यक्ष~~ महामंत्री, ऑल इंडिया
ट्रेड युनियन कांग्रेस, नई दिल्ली.

राजस्थान म्युनिसीपल कर्मचारी संघ

ज्ञापन

राजस्थान अपनी विशेष राजनीतिक परिस्थितियों के कारण अब तक सभी दृष्टियों से पिछड़ा हुआ रहा है। देशी नरेशों ने, संभवत: अपने चाटुकार सलाहकारों से घिरे रहने के कारण, इसी में अपना हित समझा कि यहां कि जनता को शिक्षित नहीं किया जायं तथा उसका आर्थिक विकास न होने दिया जायं। उन्हें भय था कि जनता शिक्षित होने पर उनके स्वेच्छाचार को सहन नहीं करेगी तथा उसका आर्थिक विकास हो जाने पर उन्हें सस्ते नौकर नहीं मिलेंगे। परिणाम स्वरूप उनकी राजधानियों को छोड़कर राजस्थान का शेष भाग छोटे छोटे गांवों में ही सिमटा रहा। वे गांव भी छोटे मोटे सामंत तथा सरदारों के अधीन थे जहां जूते का कानून चलता था। उनकी दशा राजधानियों से भी बुरी थी। वहां शिक्षा के अभाव के साथ साथ जीवन की सुरक्षा भी नहीं थी।

देश में प्राचीन ग्राम पंचायतों का तो नाश हो ही चुका था किन्तु नये ढंग की स्वायत्त संस्थाओं का जो निर्माण ब्रिटिश भारत में प्रारंभ होने लगा था, वह यहां प्रादुर्भूत नहीं हो सका। जनता स्वायत शासन से अपरिचित रही तथा उसमें नागरिक चेतना का विकास नहीं हो सका। इस प्रकार स्वायत शासन संस्थाएं राजस्थान के लिये अपेक्षाकृत नई हैं और यह कहना सत्य से परे नहीं होगा कि राजस्थान के किसी भी नगर में अब तक स्वायत शासन का वैसा विकास नहीं हो सका, जैसा देश के अन्य राज्यों में हो चुका है। राज्य सरकार भी स्वातंत्र्यता प्राप्ति के बारह वर्षों पश्चात राज्य के लिये एक समान म्युनिसीपल कानून बना सकी है परन्तु इसके लिये भी यह नहीं कहा जा सकता कि वह कब लागू होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजस्थान की स्वायत शासन संस्थाएं अभी अपने शैशव काल में हैं तथा उनके विकास के लिये यथा संभव सभी उपाय शीघ्र किये जाने चाहिये। राज्य सरकार द्वारा माननीय श्री मथुरादास जी माथुर, सदस्य, लोक सभा के सभापतित्व में इस समिति की स्थापना को हम इस दिशा में एक महत्वपूर्ण तथा ठोस कदम समझते हैं और आशा करते हैं कि यह समिति महत्वपूर्ण तथा व्यवहारिक सुझाव देकर तथा राज्य सरकार उन सुझावों को क्रियान्वित कर राज्य के स्वायत शासन के इतिहास में एक नये अध्याय का सूत्रपात करेगी।

हमने इस समिति द्वारा तैयार की गई प्रश्नावली का अवलोकन किया। समिति ने राज्य की स्वायत संस्थाओं के सभी आर्थिक पहलुओं पर विचार करने का प्रशंसनीय कार्य किया है किन्तु हमारा संबंध प्रश्न संख्या २५, २६, २७ तथा २८ से ही होने के कारण हम इन बिन्दुओं पर ही अपना यह ज्ञापन प्रस्तुत करते हैं।

नगरपालिकाओं की सेवा स्थिति पर अपने विचार प्रकट करने से पूर्व हम यह उचित समझते हैं कि समिति के माननीय सदस्यों को वर्तमान स्थिति से अवगत करा दें। वस्तुत: आज इन कर्मचारियों की सेवा स्थिति निश्चित ही नहीं है। वह नगरपालिकाओं के सदस्यों की भ्रूभंगिमा पर बनती है और बिगड़ती है और

यह बनने तथा बिगड़ने का क्रम निर्बाध गति से चलता रहता हैं। इस स्थिति का आधार कोई कानून नहीं बल्कि स्वेच्छाचार होता हैं। आज नगरपालिका के किसी कर्मचारी का भाग्य समुद्र में पड़े उस लट्ठे के समान हैं, जिसका कोई लक्ष्य नहीं और साथ ही उसे धकेलने वाली लहरों में परस्पर कोई तारतम्य नहीं। नगरपालिकाओं में राजस्थान सर्विस रूल्स को मान्यता नहीं दी गई हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह घोषित कर दिये जाने पर भी 'इन्डस्ट्रीयल डिस्प्युट एक्ट' म्युनिसीपल कर्मचारियों पर एक्ट के कतिपय प्रावधानों की विशेष व्याख्या कर उसके अनुसार कार्यवाही करने से इन्कार कर दिया जाता हैं।

आज का औसत म्युनिसीपल कर्मचारी भूखा हैं और उसे भूखा रखने में राज्य सरकार ने भी नगरपालिकाओं को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित कर और उसके लिये अधिकतम (निम्नतम नहीं) वेतन - श्रृंखला का निर्धारण कर सहयोग दिया हैं। आज कई नगरपालिकाओं के कर्मचारियों को नियत वेतन दिया जा रहा हैं, वेतन - श्रृंखला तथा मंहगाई भते का वहां प्रश्न ही नहीं हैं। छः छः घंटे हरिजनों से काम लिया जाकर भी उन्हें अस्थायी तथा अंश कालीन (Part- time) समझा जाता हैं। कई नगरपालिकाओं में काम के घंटे नियत नहीं हैं और उन्हें समय - कुसमय काम पर आने के लिये बाध्य किया जाता हैं। उन्हें साप्ताहिक अवकाश नहीं मिलता और न उन्हें नियत त्यौहारों की सवेतन छुट्टियां ही मिलती हैं। कई नगरपालिकायें अपने कर्मचारियों को वर्दी नहीं देती और न सफाई के लिये झाडू-टोपले ही देती हैं। कर्मचारियों की पदोन्नति (Promotion) नियमबद्ध नहीं होती और बहुधा गलत व्यक्ति को दूसरों का हक मार कर पदोन्नत कर दिया जाता हैं। इसी प्रकार इन कर्मचारियों की सेवा की भी सुरक्षा नहीं हैं। कई बार बिना चार्ज शीट दिये तथा कई बार छंटनी (Retrenchment) का बहाना लेकर कर्मचारियों को निकाल दिया जाता हैं और उस समय न तो उन्हें अपनी सफाई देने का अवसर ही मिलता हैं और न यथोचित मुआवजा ही। सच तो यह हैं कि नगरपालिकाओं में व्यक्तिगत तत्व (Personal elements) बहुत काम करता हैं और कर्मचारियों को बहुत चाहने पर भी भ्रान्त धारणा अथवा किन्हीं चुगल खोर, अयोग्य कर्मचारियों की करतूतों के कारण किसी सदस्य का क्रोध-भाजन बन जाना पड़ता हैं और इसका परिणाम ~~केवल~~ तो बुरा ही निकलता हैं किन्तु ऐसा होते रहने से नगरपालिकाओं में भी किसी स्वस्थ परम्परा का निर्माण नहीं होता।

नगरपालिकाओं की इस स्थिति के कारण नगरपालिकाओं में योग्य कर्मचारी आना पसन्द नहीं करता और जब वह मुसीबत के मारे आ जाता हैं तो भय और आशंका के कारण स्थिर चित होकर काम नहीं कर सकता। वह कर्मचारी चाटुकारिता एवं चुगलखोरी से किन्हीं साथियों की पदोन्नति होती देख वह भी परिश्रम एवं योग्यता का राज मार्ग छोड़कर, इस शोर्ट-कट्स (Short Cuts) को अपनाने के लिये कभी कभी आतुर हो जाता हैं और इस प्रकार मार्ग भ्रष्ट हो तथा [illegible]-तृष्णा में फंस वह केवल अपनी हानि करता हैं [illegible]

हिन उदाहरण भी प्रस्तुत करता हैं । आज का म्युनिसीपल कर्मचारी स्वाभिमान के साथ अपना कार्य संपादन नहीं कर सकता । उसे अपने सदस्यों की ही नहीं बल्कि उनके लेफ्टिनेंटस के इंगितों पर भी नाचना पड़ता हैं और यदि दुर्भाग्य से इसमें ताल-मेल का फर्क पड़ गया तो उसका परिणाम सस्पेंशन तथा डिसमिसल में निकलता हैं ।

इसी सबब से आज का प्रत्येक म्युनिसीपल कर्मचारी भयभीत हैं, त्रस्त हैं, भूखा हैं और अपनी सेवा स्थिति के प्रति चिन्तित हैं ; उसे भय हैं कि वह किसी भी समय नगरपालिका की सेवा से निकाला जा सकता हैं । उसको अपना भविष्य अन्धकार पूर्ण नजर आता हैं और वह इस बात के लिये पश्चाताप करता हैं कि उसने नगरपालिका की सेवा क्यों की ? हम समिति के माननीय सदस्यों से पुरजोर शब्दों में यह निवेदन करना चाहते हैं कि नगरपालिका के कर्मचारी की स्थिति आज दयनीय हैं । वह निरीह अवस्था में हैं ; बहुत कम वेतन के कारण वह भूखा हैं और अपने बाल बच्चों का पेट भी नहीं भर सकता ; उसके सामने आज 'जीवन-स्तर' बढ़ाने का प्रश्न नहीं, जीवित रहने की समस्या हैं । उसे भिन्न भिन्न राजनैतिक उद्देश्यों और स्वार्थों वाले सदस्यों के इशारों पर नाचना पड़ता हैं और बहुधा लोहे और पत्थर की लड़ाई के बीच रुई की भांति दब जाना पड़ता हैं ।

उसे आज इस दुर्गति और अस्थिर सेवा स्थिति पर रोश हैं और यह रोश हड़तालों के रूप में फूट पड़ा हैं ; यह स्थिति बदतर हो सकती थी किन्तु इस संगठन (राजस्थान म्युनिसीपल कर्मचारी फेडरेशन) की स्थापना हो जाने तथा फेडरेशन के सदस्य म्युनिसीपल कर्मचारी संघों के हड़ताल एक अंतिम साधन के रूप में ही काम में लेने का आदेश देने से यह स्थिति अब तक किसी प्रकार सुधरी रही किन्तु फिर भी, हम ऐसी आशंका हैं, यह बंधन शायद अधिक दिन नहीं चल सकेगा और यदि सरकार ने समय रहते म्युनिसीपल कर्मचारियों की दशा सुधारने के लिये ठोस और प्रगतिशील कदम नहीं उठाये तो राज्य व्यापि हड़तालों से स्थिति विषम हो जायेगी ।

अत: इस स्थिति को न आने देने के लिये हमारा निवेदन हैं कि म्युनिसीपल कर्मचारियों की सेवा स्थिति में निम्नलिखित संशोधन तत्काल किये जायं :-

(१) <u>वेतन - वृद्धि</u> :-

जैसा कि उपर निवेदन किया गया है कि राज्य सरकार ने नगरपालिकाओं को आय के आधार पर सात विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया हैं और प्रत्येक श्रेणी की नगरपालिका के कर्मचारियों के लिये भिन्न भिन्न वेतन-श्रृंखलायें नियत की हैं ; ये वेतन - श्रृंखलायें अधिकतम वेतन - श्रृंखलायें होने के कारण नगरपालिकाओं ने इनका पालन करना उचित नहीं समझा और अभी तक अपनी इच्छानुसार वेतन - श्रृंखला बद्ध या नियत, मंहगाई भत्ते सहित या रहित - दे रही हैं । हम यहां यह भी कहना चाहेंगे कि राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार की वेतन-श्रृंखलाओं का निर्माण करना न केवल अवांछित हैं बल्कि अवैज्ञानिक भी हैं ; कर्मचारी चाहे किसी श्रेणी की नगरपालिका में काम करें, उसका काम समान हैं

तथा शहरों के भावों में कोई कहने लायक अन्तर नहीं रहा है, और [redacted] इसलिये उसके खर्चे भी समान हैं, फिर उसके वेतन में अन्तर रखना युक्ति संगत एवम् न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। सरकार ने 'समाजवादी समाज की रचना' का नारा लगाया है। इस निश्चय के अनुसार 'समान कार्य करने वाले को समान वेतन दिया जाये' - इस सिद्धान्त का पालन राज्य सरकार व्यक्तिगत उद्योग धन्धों के मालिकों से तो कराना चाहती हैं किन्तु स्वयं पालन करना नहीं चाहती - यह हास्यास्पद नहीं तो विचारणीय अवश्य है।

एक ही नगर में एक ही प्रकार का काम करने वाले केन्द्रीय, राज्य एवम् नगरपालिका कर्मचारियों के वेतन - श्रृंखला में अन्तर 'समाजवादी समाज रचना' के सिद्धान्त के विपरित है। केन्द्रीय एवं राज्य सरकार और नगरपालिका के कर्मचारी समान परिस्थितियों में रहते हुए और समान काम करते हुए भी वेतन एवं अन्य भत्तों में असमानताहो तो निश्चय ही वे अपने वेतन के प्रति असंतुष्ट और कार्य के प्रति लापरवाह होंगे।

चूंकि नगरपालिकायें भी एक प्रकार से राज्य का ही कार्य करती हैं और इस कारण नगरपालिकाओं के कार्य को राज्येतर कार्य समझ उनके कर्मचारियों के प्रति किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिये। आज नगरपालिकाओं के कर्मचारियों की स्थिति वैसी ही है, जैसी राजस्थान की विभिन्न रियासतों के समय सरकार, उमराव एवं ठिकानेदारों के कर्मचारियों की थी। हम नहीं समझते कि इस समानता के युग में म्युनिसीपल कर्मचारियों को क्यों निम्न श्रेणी का समझा जा रहा है।

यहां यह कहना भी अप्रासंगिक नहीं होगा कि नगरपालिकाओं के कर्मचारियों को प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों से भी कम वेतन मिलता है, जिसे उचित नहीं कह सकते। समितिके सम्मानीय सदस्यों को यह बताते हुए दु:ख होता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के १२ वर्ष पश्चात भी प्रान्त के म्युनिसीपल कर्मचारियों को १०) रूपया और २०) रूपया वेतन मिलता है और इस वेतन में सफाई के साधन स्वयं उन्हें लेकर के आना पड़ता है। 'दी राजस्थान एण्ड अजमेर कोटन टेक्सटाइल लेबर इन्क्वायरी कमेटी', जिसे 'देशपांडे कमेटी' के नाम से भी संबोधित किया जाता है, ने जून सन् ५५ में जो रिपोर्ट पेश की है, उसमें ६५) रूपया मासिक निम्नतम वेतन प्रस्तावित किया गया है। सन् ५५ के पश्चात कई प्रकार के केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के करों में वृद्धि हुई है, जीवन-यापन की दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं के भाव ड्योढ़े हो गये हैं और किसी किसी के भाव तो दुगने भी। जिसके कारण देश में बहुत मंहगाई बढ़ी है। यदि इस मंहगाई वृद्धि को ३० प्र०श० भी मान लिया जाय तो इस समिति की रिपोर्ट के अनुसार निम्नतम वेतन ८५)रू० मासिक होना चाहिये। माननीय सदस्यों को हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि यह निम्नतम वेतन है, जो किसी व्यक्ति को जिंदा रखने के लिये आवश्यक है, जिसे पाकर कोई व्यक्ति कुछ संतोष व राहत प्राप्त कर सकें। केन्द्रीय सरकार ने

...ली हैं । अतः हमारा निवेदन हैं कि निम्नतम वेतन ८५) पिच्चीयासी रूपया मासिक तथा उक्त रिपोर्ट को आधार मानकर म्युनिसीपल कर्मचारियों के लिये उचित वेतन-श्रृंखलाओं का निर्धारण किया जायं तथा मिनिमम वेजेज एक्ट के अन्तर्गत राज्य की सब नगरपालिकाओं पर उनका पालन आवश्यक घोषित किया जायं। साथ ही नगरपालिकाएं इस बात के लिये भी पाबंद की जाय कि यह वेतन उनके कर्मचारियों को समय पर दे दिया जायं ।

नगरपालिकाओं द्वारा आजकल घाटे का बजट तैयार करने का एक फैशन सा हो गया हैं और इसका परिणाम यह होता हैं कि रकम अन्य कार्यों पर खर्च कर दी जाती हैं और कर्मचारियों को दो - दो और तीन - तीन माह तक वेतन ही नहीं दिया जाता, जिसे उचित नहीं कह सकते । नगरपालिकाओं के बजट पास करते समय राज्य सरकार को यह स्थिति न आने देने के लिये यथोचित आदेश दे दिये जाने चाहिये ।

(२) मंहगाई भता:- नगरपालिका के कर्मचारियों को मंहगाई भता एवं अन्य अलाउन्सवहीं दिया जायं जो राज्य सरकार के कर्मचारियों को ववव०ववव०वव दिया जाता हैं । जिस प्रकार राज्य कर्मचारियों के मंहगाई भते का प्रतिशत उनके वेतन में जोड़ दिया गया हैं इसी प्रकार इतना प्रतिशत ही नगरपालिका के कर्मचारियों के वेतन में जोड़ दिया जाना चाहिये ।

(३) सेवा-नियम:- नगरपालिकाओं के कर्मचारियों पर भी आर.एस.आर. लागू किये जायं, यदि इन्हें इसी नाम से अथवा इसी रूप में लागू किये जाने में कोई वैधानिक कठिनाई आती हैं तो इनमें आवश्यक संशोधन कर आर.एम.एस.आर (राजस्थान म्युनिसीपल सर्विस रेग्युलेशन) के नाम से लागू किये जायं । किन्तु (आर.एम. एस.आर) मूलभूत सिद्धान्त आर.एस.आर. के ही हों ।उनमें कोई परिवर्तन करना उचित नहीं होगा ।

इसी प्रकार नगरपालिकाओं में शिफारिश तथा भाईभतिजावाद आधार पर अयोग्य कर्मचारियों की भर्ती रोकने तथा योग्य कर्मचारियों को नगरपालिकाओं की नोकरी में आने के लिये प्रोत्साहन देने हेतु रिक्रूटमेन्ट एण्ड प्रमोशन रूल्स लागू किये जायं । उनकी सेवा - वृति की सुरक्षा तथा उन्हें राजनैतिक स्वार्थों के प्रहारों से बचाने के लिये क्लासिफीकेशन कन्ट्रोल तथा अपील रूल्स (Classification Control and Appeal Rules) का नगरपालिकाओं में प्रचलन किया जायं । उन्हें इस बात का अधिकार दिया जायं कि वे अपने प्रति किये गये अन्याय के विरूद्ध राज्य सरकार के पास अपील कर न्याय प्राप्त कर सकें । नगरपालिका के कर्मचारियों नगर के स्वस्थतथा सफाई के लिये रात दिन गंदगी और कूड़े करकट को ढोना पड़ता हैं । नगर में कोई महामारी नहीं फैले, इसके लिये उन्हें उन महामारियों के भयंकर कीटाणुओं से अपने प्राण संकट में डाल कर युद्ध करना पड़ता हैं और इस बात की हमेशा संभावना बनी रहती हैं कि वे उनसे आक्रांत नहीं हो जायं । राष्ट्र के जीवन को स्वस्थ तथा स्वच्छ बनाने के लिये रात-

पर नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा न देना मानवोचित नहीं होगा । क्या यह स्थिति हास्यास्पद नहीं है कि आज दफतरों में कुर्सियों पर बैठकर काम करने वाले राज्य कर्मचारियों के यदा कदा बिमार हो जाने पर नि:शुल्क चिकित्सा प्राप्त कर सकता हैं किन्तु घातक किटाणुओं से लिप्त रहने वाले म्युनिसीपल कर्मचारियों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा प्राप्त नहीं हैं । क्या राज्य सरकार आवश्यकता के आधार पर नहीं बल्कि विशेष पद स्थिति के कारण चिकित्सा सुविधा प्रदान करना चाहती हैं ? एक जनतांत्रिक सरकार से आशा तो यह की जाती हैं कि वह इस प्रकार का भेद-भाव नहीं करेगी । आज आवश्यकता तो इस बात की हैं कि इन म्युनिसीपल कर्मचारियों की अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षा समय समय पर सुलभ की जायं ताकि बिमार होने के पूर्व ही उचित चिकित्सा हो सके । छूत की सबमारी नहीं फैल सके । यदि फिलहाल यह संभव नहीं हो सके तो इनके लिये नि:शुल्क चिकित्सा की सुविधा तो अवश्य प्रदान की जानी चाहिये । अत: हमारा निवेदन हैं कि "मेडीकल एटेन्डेन्ट रूल्स" भी म्युनिसीपल कर्मचारियों पर तत्काल लागू किये जायं ।

(४) छुट्टियां :- सभी श्रेणियों के म्युनिसीपल कर्मचारियों को सवेतन साप्ताहिक अवकाश एवम् आउट डोर में काम करने वाले कर्मचारियों को १० दिन की सवेतन त्योहारों की छुट्टियां दी जायं ।

(५) काम के घंटे नियत किये जायं तथा ओवर टाइम काम लेना बन्द किया जायं ।

(६) वर्दी :- आवश्यकतानुसार गर्म तथा सर्द वर्दियों की व्यवस्था की जायं तथा उन्हें समय पर देने का ध्यान रखा जायं । यहां यह कहना अप्रासंगिक नहीं होगा कि सफाई करने एवं उसका निरीक्षण कार्य करने वाले कर्मचारियों को कड़ाके की सर्दी में भी प्रात:काल अंधेरे अंधेरे काम पर जाना पड़ता हैं । अत: उनके लिए गर्म वर्दी आवश्यक है । यही हाल चुंगी वसूल करने वाले एवं अन्य कर्मचारियों का भी हैं । अत: उन्हें नियमानुसार सर्द एवं गर्म वर्दी दी जाना चाहिये ।

(७) सफाई का ढंग तथा साधन :- सफाई के साधारण साधन झाड़ू तथा टोपले हैं, जो अनेक नगरपालिकाओं द्वारा नहीं दिये जाते हैं । कर्मचारियों को नगर की सफाई के लिये, उस अल्प वेतन में झाड़ू - टोपले भी स्वयं लेकर के आते हैं। अब इसके साथ ही कर्मचारियों को मल मूत्र सिर पर लेजाकर ढोना पड़ता हैं । अत: जिन नगरपालिकाओं में मल मूत्र सिर पर ढोने की प्रथा अब तक प्रचलित हैं उसे बन्द किया जायं तथा इसके लिये आवश्यक साधन जुटाये जायं । कर्मचारियों को सफाई के लिये आधुनिक साधन नगरपालिकाओं की ओर से मुहय्या किये जायं ।

यहां यह निवेदन कर देना भी अनुचित नहीं होगा कि अधिकांशत: नगरपालिकाओं में विशेषज्ञ नहीं होते हैं । नगरपालिकाओं का प्रमुख कार्य सफाई से हैं, इस सफाई में न केवल कूड़ा करकट बल्कि मैला एवं पेशाब की सफाई भी शामिल हैं। परन्तु सफाई के कार्य के तरीके एवं साधन इस वैज्ञानिक युग में भी वहीं हैं जो कि सदियों से पहले प्रचलित थे । इससे न केवल हरिजन कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर असर

से नहीं रखी जा सकती है और उसका परिणाम अनेक प्रकार की महामारियों में निकलता है । इस विषय पर हमारा निवेदन है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों, इन्जिनियर्स और विशेषज्ञों की एक समिति बनाई जायं जो इस प्रकार के कार्यों में परिवर्तन करने हेतु सरकार को अपनी राय दें कि सार्वजनिक तारघें और पेशाबघर किस प्रकार के बनाये जायं ? उनकी सफाई के लिये कौन से साधन अपनाये जायं ? कर्मचारियों से कितने समय और कितना कार्य लिया जायं ? सफाई के साधन किस प्रकार के हों आदि बातों पर यह समिति जांच करके रिपोर्ट दें । जिससे हरिजन मानवोचित ढंग से अपना कार्य कर सकें । जैसा कि उपर निवेदन किया गया है कि नगरपालिकाओं मेंटेकनिशियनों का अभाव है जिस सबब से सफाई एवं स्वास्थ्य के लिये उचित मार्ग दर्शन नहीं मिल पाता । यही कारण है कि आज भी पालिका क्षेत्र में वही पुराने तरीके के पेशाबघर एवं तारघें बनवा दी जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हरिजनोंको गन्दा जीवन व्यतीत करना पड़ता है । यदि हमारी यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई तो राजस्थान के नगर न केवल साफ सुथरे एवम् स्वच्छ नजर आयेंगें बल्कि छुआछूत की समस्या, जिसको दूर करने के लिये सरकार अवश्य प्रयत्नशील है, उसके लिये यह एक बहुत बड़ा सहायक कार्य होगा । सरकार इस विषय में बम्बई राज्य सरकार द्वारा नियुक्त "भंगी जीवन जांच समिति "की रिपोर्ट से भी मार्ग दर्शन ले सकती है ।

(८) यदि नगरपालिकाएं अपने कर्मचारियों के लिये पेंशन की व्यवस्था न कर सके तो प्रोविडेन्ट फण्ड की व्यवस्था तो तत्काल सभी श्रेणी के कर्मचारियों के लिये लागू कर की जानी चाहिये और सभी नगरपालिकाओं के लिये प्रोविडेन्ट फण्ड के समान नियम होने चाहिये ।

(९) <u>कर्मचारियों का प्रशिक्षण</u> :- कर्मचारियों के प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था होनी चाहिये तथा प्रशिक्षित कर्मचारियों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये । प्रशिक्षण का सारा खर्च संबंधीत नगरपालिका द्वारा उठाया जाना चाहिये और यदि ऐसा न हो सके तो कम से कम अग्रिम वेतन वृद्धि दी जानी चाहिये । हम यहां यह भी कहना उचित एवम् आवश्यक समझते हैं कि सेनेटरी - इन्सपेक्टरों की पोस्टों पर प्रशिक्षित व्यक्ति को ही भर्ती किया जाना चाहिये ।

(१०) <u>कर्मचारियों के लिये आवास सुविधा</u> :- नगरपालिकाए अपने कर्मचारियों को नि:शुल्क अथवा नाम मात्र का मूल्य लेकर के मकान निर्माण हेतु भूमि प्रदान करें तथा राज्य एवं केन्द्रीय सरकार से उनके लिये ऋण प्राप्त करें ।

हमारे इन सुझावों को कार्य रूप में परिणत करने के लिये हो सकता है कि कुछ नगरपालिकाएं आर्थिक बाधा महसूस करें, किन्तु यह कोई ऐसी बाधा नहीं जो हल नहीं की जा सकती हो । हमें विश्वास है कि आपकी यह समिति नगरपालिकाओं के सभी संभव आय - स्त्रोतों पर पर्याप्त प्रकाश डालेगी और जब राज्य सरकार इन सुझावों को कार्य रूप में परिणित कर लेगी तो

किन्तु इसके उपरान्त भी किन्हीं नगरपालिकाओं को अर्थाभाव महसूस हो, तो राज्य सरकार उसके लिए उन्हें पर्याप्त अनुदान दें। आखिर, नगरपालिकाएं वहीं तो काम करती हैं, जो उनके अभाव में राज्य सरकार को करना पड़ता है अथवा करना चाहिये। साथ ही हम यह भी कहना पसंद करेंगे कि राज्य सरकार अपनी कर नीति में परिवर्तन करें। चूंकि हमारा प्रान्त उद्योग धन्धों में पिछड़ा हुआ है। कृषि ही यहां का मुख्य धंधा है। इसी कारण से पालिकाओं के आय के स्त्रोत भी सीमित ही रहे हैं। इतने पर भी राज्य सरकार ने वे कर स्वयं लेना प्रारंभ कर दिया है, जो अब तक नगरपालिकाओं द्वारा लिये जाते है। सरकार की इस नीति को स्वायत शासन पोषक नहीं कह सकते।

नगरपालिकाओं की सेवाओं के प्रान्तीयकरण के लिये हमारा यह निवेदन है कि चतुर्थ श्रेणी तथा हरिजन कर्मचारियों के पदों को छोड़ कर शेष सब पदों का प्रान्तीय करण कर दिया जाना उचित होगा किन्तु इसके पहले दो काम करने आवश्यक होंगे। प्रथम - राज्य की सम्पूर्ण नगरपालिकाओं में समान सेवा स्थिति होना तथा द्वितीय उनके कार्यालयों का समान संगठन होना। यदि सेवा नियम समान नहीं हुए तो स्थानान्तरण में कुछ कर्मचारियों को हानि होगी तथा कार्यालयों में एक सूत्रता नहीं होने पर कर्मचारियों की दक्षता में वृद्धि नहीं होगी वरन् कमी की ही संभावना है। यदि पदों का भेद रहा तो उन पदों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों का स्थानान्तरण भी नहीं हो सकेगा।

जैसा कि हमने उपर निवेदन किया है कि नगरपालिकाओं मे व्यक्तिगत तत्व (Personal Elements) बहुत काम करते हैं और कर्मचारियों को उनका बार बार शिकार होना पड़ता है। अतः हमारा सुझाव है कि स्थानान्तरण जिले तक ही सीमित रखे जायं।

यहां यह सूचना भी विषयांतर नहीं होगा कि नगरपालिकाओं की सेवाएं किन्हीं दृष्टियों से राज्य सेवाओं से कठिन तथा विविध प्रकार के ज्ञान एवं अनुभव की अपेक्षा रखती हैं। भूतपूर्व हैदराबाद राज्य में इसी बात को दृष्टि में रखते हुए नगरपालिका कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों से अधिक वेतन मिलता था। राज्य के एक आर.ए.एस. अधिकारी को भी एक विशेष प्रकार का ही काम करना पड़ता है किन्तु जब वह किसी नगरपालिका में अधिकारी नियुक्त किया जाता है तो नगरपालिकाओं में विविध प्रकार के कार्यों को देखकर वह असमंजस में पड़ जाता है। यहां काम व्यवस्था से, सफाई से, हिसाब - किताब से, न्याय से, निर्माण कार्यों से विधायक आदि से संबंध रखता है। वह अधिकारी यहां की विविध प्रवृतियां तथा जटिल वातावरण को देख कर एक बार तो किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। कभी उसे विधायक के रूप में किसी नियम-उपनियम का निर्माण करना पड़ता है तो कभी प्रशासक के रूप में व्यवस्था जमानी पड़ती है, कभी निर्णायक की भांति निर्णय देना पड़ता है, कभी हैल्थ आफिसर की भांति सफाई की व्यवस्था करनी पड़ती है तो कभी इन्जिनियर की भांति जन निर्माण कार्य

के संपादन
कार्य करने पड़ते हैं। परन्तु विविध प्रकार के कार्यों के लिये विविध प्रकार के ज्ञान तथा प्रशिक्षण की आवश्यकता होती हैं जिनका उनमें अभाव होता हैं। इस कारण वे म्युनिसीपल सेवाओं में हमेशा सफल नहीं होते। इस स्थिति को सुधारने के लिये 'राजस्थान म्युनिसीपल सर्विसेज' नाम की सेवाओं की स्थापना की जायं और इन सेवाओं में जाने वाले अधिकारियों के लिये विशेष प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायं। चूंकि राजस्थान की नगरपालिकाएं अन्य राज्यों की नगरपालिकाओं से कई दृष्टियों से पिछड़ी हुई हैं और इनकी प्रगति के लिये तथा अन्य राज्यों की नगरपालिकाओं के समकक्ष लाने के लिये हमारे ये अधिकारी सक्षम होंगे, ऐसी हमें आशा हैं।

जहां तक नगरपालिकाओं में कर्मचारियों की भर्ती का सवाल हैं, हमारी मान्यता हैं कि हरिजन तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर शेष सब कर्मचारियों की भर्ती पब्लिक सर्विस कमिशन से होनी चाहिये। वर्तमान समय में जो भाई - भतिजावाद चलता हैं वह इस प्रक्रिया द्वारा बन्द हो जायेगा। इसे बन्द करना कई दृष्टियों से उचित भी हैं। क्योंकि यह भाई - भतिजा वाद और संबंधीवाद आगे जाकर कई प्रकार से विष वृक्षों में प्रस्फुटित होता हैं और नगरपालिकाएं योग्य एवं परिश्रमी कर्मचारियों की सेवाओं से वंचित रह जाती हैं।

नगरपालिकाओं के कर्मचारियों का चयन वर्तमान पी.एस.सी. भी कर सकती हैं और यदि वर्तमान जन - सेवा - आयोग के पास इतना समय न हो तो उसके सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाकर अथवा एक भिन्न आयोग की स्थापना की जाकर यह काम किया जा सकता हैं।

आशा हैं समिति के माननीय सदस्य इस ज्ञापन पर सहृदयतापूर्वक विचार करेंगे तथा परिस्थितियों की गंभीरता को समझेंगे! विभुक्षित, अरक्षित तथा भविष्य के प्रति चिंतातुर म्युनिसीपल कर्मचारी की वेदना, बेबसी तथा असंतोष का सही अर्थों में मूल्यांकन कर सकेंगे और उसे मानवोचित जीवन बिताने के लिये आवश्यक सहायता देंगे। हम नहीं चाहते कि म्युनिसीपल कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष प्रान्त व्यापि हड़तालों के रूप में प्रकट हों किन्तु यदि समय रहते इन समस्याओं के हल के लिये कोई सक्रिय तथा फलप्रद कदम नहीं उठाये गये तो परिस्थिति काबू के बाहर भी हो सकती हैं।

यदि समिति इस ज्ञापन के उपरोक्त मुद्दों पर या और किसी प्रकार का स्पष्टीकरण चाहें तो वह सहर्ष प्रस्तुत करेंगे। इन मुद्दों पर विचार करते समय यदि समिति हमारे प्रतिनिधि को बुलाना पसंद करे तो हम उसके आभारी होंगे।

रामनाथ [illegible]
मंत्री

118 MAY 1959

Rajasthan Municipal Employees Federation (Rajasthan)

Head Office :- UDAIPUR

Ref No. SMKS/U-G/59. /59-60 Dated 15th May 1959.

To,
~~The Secretary~~,

Comrade S.A. Dange,

General Secretary, All India Trade Union Congress,

NEW DELHI.......

Sub. : A PROPOSAL FOR AN ALL INDIA MUNICIPAL / DISTICT BOARD EMPLOYEES UNIONS CONFERENCE TO BE HELD IN SEPTEMBER 1959

Dear Friend,

I take the liberty to inform you that the year 1957 proved to be a remarkable Year from the point of view of almost all the Unions of Municipal Employees in the State of Rajasthan because of the fact that in that year a Federation named above was organised for the betterment of almost all the Employees of Municipalities.

The Executive of this Federation, which met at Kishangarh during December 1958 to consider some urgent matters, adopted a Resolution in this regard, a copy of which is being sent herewith for your perusal. As can be seen from the Resolution itself it desires to move the Provincial Governments concerned for the betterment of the living conditions and status of the Municipal Employees and in order to give this thought a united voice, our Federation is considering the possibility of holding an All-India Conference of Delegates from Municipal and District Board Employees Unions all over the Country. The month of September is very pleasent in the year for this City of Lakes when the rains are just over giving the surroundings a lovely and lively green look and hence I feel that it would be helpful in multiplying the enthusiasm of the Delegates who would assemble here.

You would fully agree with the views expressed in the Resolution and would not hesitate to add your strength to the endeavour suggested by our Federation. I would, appreciate, therefore if you would be kind enough to let me know your esteemed opinion in this matter and also your reaction to the proposal to hold this Conference here in Udaipur.

I am sure you would take an immediate action in the matter so that the required data could be collected by us well in advance.

Thanking you,

Yours faithfully,

R. Sharma

SECRETARY

Rajasthan Municipal Employees Federation

Resolution

WHEREAS:- After the achievement of freedom of the Country, it (Country) has adopted a Constitution founded on Democracy and the Nation is progressing like a true Democratic Country;

" Citizens of the Country, can see the form of Democracy well through their Local Bodies from a much nearer point;

" Local Bodies are foundation-springs of Democracy and their success and strength can result in the fruition of Democracy and the formation of healthy traditions of Democracy:

" Inspite this much importance of Local Bodies in the Democratic set-up of the Country, their Employees are in neglected and wretched condition;

" Along with the amelioration of the condition of the Local Bodies, the amelioration of the condition of their Employees is equally indispensable, and

" There is a similarity of purpose between the Rural Local Bodies & Urban Local Bodies, the same similarity is also there in the problems & needs of these Employees.

Therefore, the Central Committee of the " RAJASTAN MUNICIPAL EMPLOYEES FEDERATION " — resolves that an organizion on all India Level consiting of the Representatives of the Employees of all Local Bodies of all the States of India be formed so that a feeling of brother-hood among these Employees living in different part of the Country may be fostered and at the same time an opportunity to discuss their problems and to thrash-out their solutions may be made available.

3.6.59.

Dear Com. Ramachandra Shrama,

Please find enclosed copy of a circular that we have issued to all our State Trade Union Committees and Municipal Unions in connection with the All-India Conference proposed by you.

Enclosed herewith is also a list of names and addresses of Municipal and Local Bodies Employees Unions affiliated to the A.I.T.U.C.

Greetings,

Yours fraternally,

Secretary

ALL-INDIA TRADE UNION CONGRESS

4 Ashok Road, New Delhi

Circular No. STUC/7/59 June 2, 1959

To
All STUCs

Sub: ALL-INDIA CONFERENCE OF MUNICIPAL/DISTRICT BOARD EMPLOYEES' UNIONS

Dear Comrades,

The Rajasthan Municipal Employees' Federation, Udaipur, has proposed that an all-India conference of unions in Municipalities and District Boards should be held at Udaipur, some time in September this year. The conference will discuss problems of common interest to municipal and local boards' employees and explore possibilities for the formation of an all-India Federation.

State TUCs are requested to circularise unions in municipalities and local bodies in the state to get in touch with the Rajasthan Federation and prepare for the all-India conference.

The address of the Rajasthan Federation is as follows:

Shri Ramchandra Sharma,
Secretary,
Rajasthan Municipal Employees' Federation,
UDAIPUR,
Rajasthan.

Necessary steps may be taken by the State TUC to make the projected conference a success.

With greetings,

Yours fraternally,

(K.G.Sriwastava)
Secretary

Copy to: Unions in Municipalities & Local Bodies.

July 1, 1959

General Secretary,
Municipal Mazdoor Union,
204 Charni Road,
BOMBAY 4

Dear Comrade,

This is to acknowledge receipt of your letter No.MMU/53/1569/59 dated 27th June 1959 addressed to Comrade Dange.

Comrade Dange is in Bombay and is not expected here till the third week of this month. We would therefore suggest that you contact him there on the points raised in your letter.

With greetings,

Yours fraternally,

Office Secretary

किशनगढ़ म्युनिसिपल कर्मचारी यूनियन, मदनगंज, किशनगढ़.

पत्र संख्या ७६   ता० २,७,५९ ई०.

श्रीमान लेबर कमिश्नर साहब,
लेबर एण्ड डेम्प्लोयमेन्ट आफिस ,
अजमेर जिला, अजमेर.

विषय :- पुन हड़ताल नोटिस.

सम्बन्ध मे :- आपके पत्र संख्या ३४६३ ता० २८ ,६ ,५९ व संख्या ३५३० ता० १,७,५९ ई०.

प्रिय महोदय,

आपने अपने उपरोक्त पत्रो मे यह बताया है कि लेबर कानूनो मे पुन हड़ताल जैसे शब्द का कोई स्थान नही है क्योकि इण्डस्ट्रीयल डिस्प्यूट एक्ट की धारा के मुताबिक २२ के अनुसार हड़ताल नोटिस दिया जाय.हम आपके इस सुझाव को सही मानते है और कानूनी मुद्दा भी यही है.लेकिन यूनियन को जब वैधानिक तौर पर हड़ताल करने का हक प्राप्त है तब पुन हड़ताल करने की नौबत क्यो आई इसका खुलासा ता० १०,६,५९ को किशनगढ़ मे भी आपके सम्मुख किया जा चुका है.फिर भी आपको इन पत्रो का जवाब लिखित मे देना यूनियन इस मौके पर जरूरी समझती है.

इस मौके पर मै आपका ध्यान यूनियन द्वारा सन ५७ मे आपको व बोर्ड को पेश की गई उन ७ मांगो की ओर दिलाना चाहता हूं जिनका केस आज भी राजस्थान की इन्डस्ट्रियल अदालत मे विचाराधीन है.आपने इन मांगो पर कन्सीलेशन शुरू किया.लेकिन चेयरमैन महोदय ने आपके कन्सीलेशन का बायकाट किया और इण्डस्ट्रीयल डिस्प्यूट एक्ट की धाराओ का खुले आम उल्लंघन किया.तब आपने यह केस कन्सीलेशन फेल होने पर अपनी रिपोर्ट के साथ राज्य सरकार को भेजा.राज्य सरकार ने अपने नोटिफिकेशन नम्बर .एफ.४ [illegible] २० [illegible] ,लेबर/५८ ता० २५ अगस्त १९५८ को राजस्थान इन्डस्ट्रियल अदालत को यह केस भेज दिया गया. तब से यह केस पूर्ण इन्डस्ट्रियल अदालत मे चल रहा है जैसा कि आपने उपरोक्त पत्र मे भी लिखा है.

जब कि इण्डस्ट्रीयल डिस्प्यूट एक्ट ४७ की धारा ३३ (१) (ए) कर्मचारियो की सर्विस कण्डिशन मे किसी भी तरह का परिवर्तन करने की इजाजत म्युनिसिपल बोर्ड या चेयरमैन महोदय को नही देती तो फिर उन्होने मेघीलाल, ओंकारलाल, नन्दलाल कर्मचारियो को नौकरी से पृथक किया.क्या यह कानून को तोड़ना नही है.क्या डिसिप्लिन का आरोप आप या चेयरमैन महोदय जो हमारे ऊपर लगाना चाहते है उसके जिम्मेदार भी चेयरमैन महोदय खुद नही है.क्या इस पार्टी के वातावरण मे भी उत्तेजना फैलाने की जिम्मेदारी भी चेयरमैन महोदय पर नही है.

जो सरकार ट्रेड यूनियन्स तथा मजदूरो से न्याय व कानून के प्रति आस्था रख कदम उठाने की सलाह देती है उसका यह भी काम है कि वह यदि उसके खुद के ही स्वायत्त शासन संस्थाओ के अधिकारियो और बड़े सरकारी पदो पर काम करने वाले चेयरमैन महोदय को भी इस तरह गैरकानूनी और अवैधानिक तौर खुले आम न्याय व्यवस्था के खिलाफ व्यवहार करने पर

[illegible]

रही है.शहर की सफाई शान्ति को भंग करने की कोशिश यूनियन नहीं कर रही है.बल्कि किशनगढ़ म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन महोदय खुद इसके जुम्मेवार है.जैसा कि आपने अपने उपरोक्त पत्र मे जाहिर किया है.

आपके लिखने के मुताबिक हम भी चाहते और ये नहीं चाहते है कि अब राजस्थान की श्रम अदालत मे हमारे केसेज चल रहे है तो कर्मचारियों की सर्विस कण्डिशन मे किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया जाय.

इसलिये हमारी मांग है कि श्री प्रभोदराज ,छोटूलाल ,तथा मदनलाल चपरासी को तुरन्त उसी तारीख से काम पर लेकर अब तक का पूरा वेतन दिया जाय जिस तारीख से इनको पृथक किया गया था.

इस आधार पर श्री चेयरमैन महोदय से बातचीत करके हम शान्तिपूर्ण तरीको से इन केसो को तय करने की पूरी कोशिश करेंगे फिर भी यदि उन्होने इन मामलो को नहीं निपटाया तो यूनियन अपने पूर्व फैसले के अनुसार ७ जुलाई ५८ से शहर सफाई बन्द हड़ताल आयोजित करेगी.जिसकी जुम्मेवारी यूनियन व कर्मचारियों न होकर चेयरमैन महोदय और म्युनिसिपल बोर्ड किशनगढ़ की होगी.

उपरोक्त स्पष्टीकरण से यह निर्विवाद सत्य है कि कानून व शान्ति भंग करने की जुम्मेवारी यूनियन व कर्मचारियो की न होकर खुद चेयरमैन साहब महोदय की होगी.

आपका

प्रेसिडेन्ट

किशनगढ़ म्युनिसिपल सफाई कर्मचारी यूनियन, मदनगंज, किशनगढ़.

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. श्रीमान चेयरमैन महोदय, म्युनिसिपल बोर्ड किशनगढ़.
२. श्रीमान लेबर कमिश्नर साहब, राजस्थान, जयपुर.
३. श्रीमान सेक्रेटरी साहब, लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट, राजस्थान सरकार, जयपुर.
४. श्रीमान जनरल सेक्रेटरी सा०, राजस्थान म्युनिसिपल कर्मचारी फैडरेशन, उदयपुर.
५. श्रीमान जनरल सेक्रेटरी सा०, राजस्थान ट्रेड यूनियन कांग्रेस, पाली मारवाड़.
६. श्रीमान जनरल सेक्रेटरी सा० आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ४ अशोक रोड, नई दिल्ली.
७. श्रीमान कलेक्टर साहब, अजमेर जिला, अजमेर.

आपका

प्रेसिडेन्ट

किशनगढ़ म्युनिसिपल कर्मचारी यूनियन, मदनगंज, किशनगढ़.

किशनगढ़ म्युनिसिपल कर्मचारी यूनियन, मदनगंज, किशनगढ़.

पत्र संख्या ८५ ता० ३, ७, ५९ ई०.

297

श्रीमान चेयरमैन महोदय,
म्युनिसिपल बोर्ड किशनगढ़.

विषय :- किशनगढ़ म्युनिसिपल कर्मचारी यूनियन द्वारा मांगों के लिये भूख हड़ताल करने सम्बन्धी.

सम्बन्ध में :- आपके पत्र संख्या १२७० ता० २,७,५९ ई०.

प्रिय महोदय,

आपका उपरोक्त पत्र प्राप्त हुआ. ता० १० ,६,५९ को श्रीमान लेबर व वेलफेयर ऑफिसर साहब के साथ आपकी उपस्थिति विषय में जो बात चीत हुई उसके बारे में आपसे अनुरोध है कि किशनगढ़ म्युनिसिपल कर्मचारी यूनियन का सदैव से यही प्रयास रहा है और अब भी है कि कर्मचारियों की हर उचित मांगों को बातचीत और आपसी विचार विमर्श से ही निपटाया जाय. इस सम्बन्ध में श्रीमान लेबर वेलफेयर साहब के सामने भी समझौता किया था उसके अनुसार यूनियन का एक प्रतिनिधि व स्वयं आपसे मिल रहा है. कृपया हमारी निम्नलिखित चारों मांगें स्वीकार करके आपसी सहयोग का वास्तविक वातावरण तैयार करने में मदद दीजिये.

मांगें १. श्री छोटूलाल, भंवरसिंह, भगवानदास चपरासी को पृथक करने की तारीख से कामपर लेकर उनको अब तक का पूरा वेतन दिलाने की कृपा करावें.

२. मांग नम्बर २ के सम्बन्ध में लेबर वेलफेयर साहब के सम्मुख हुई बातचीत के आधार पर शीघ्र ही आपके पास [illegible] भेज देंगे.

३. मांग नम्बर ३ के सम्बन्ध में आपने लेबर वेलफेयर साहब के सामने जो सुझाव दिया था यूनियन स्वीकार करती है.

४. मांग नम्बर ४ के बारे में भी हम [illegible] शीघ्र आपके सम्मुख रखने के लिये तैयार है.

उपरोक्त मांगों में मांग नम्बर १ के बारे में श्रीमान लेबर वेलफेयर साहब ने अपनी १० ,६,५९ की बातचीत में तथा यूनियन को भी पत्र संख्या ३५३० ता० १,७,५९ को देकर और जिसकी प्रति आपको भी भेजी उसके अनुसार उक्त उपरोक्त कर्मचारियों का केस जब अदालत में चल रहा है तब इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अनुसार इन कर्मचारियों को पृथक करना उचित नहीं है. इसलिये आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त भूख हड़ताल की समस्या का समाधान इन तीनों कर्मचारियों को पृथक करने की तारीख से काम पर पूरे वेतन सहित लेने पर ही हो सकेगा.

अतः आशा है आप अपने उपरोक्त पत्र के अनुरूप ही इन मांगों को निपटाने में पूर्ण सहयोग देकर देने की कृपा करेंगे जिसके अभाव में पूर्व निर्धारित तिथि से भूख हड़ताल पर जाना अनिवार्य हो जाता है.

भवदीय

[signature]

प्रेसिडेन्ट

प्रतिलिपि :-

297

Tel: 28152.

MUNICIPAL MAZDOOR UNION, BOMBAY

204, Charni Road,
BOMBAY - 4

July 5, 1959.

Press statement issued by Shri George Fernandes, General Secretary, Municipal Mazdoor Union.

Two strikes in the city, one of 7 hundred workmen of New Era Silk Mills and the other of 800 workmen from National Electrical Industries Ltd., have been defying settlement for over two months now. In the case of the National Electrical Industries, the management has gone back on a settlement arrived at with Union.

Even though the number of workmen involved in these strikes is very small, the issues involved in them are so grave that they have put at stake the very existence of the organised trade union movement. In both cases, the employers have sought cover under a recent judgment of the Supreme Court to victimise the leaders of the workers in their establishments and thereby break their unions.

During the 15th Indian Labour Conference at Delhi in July, 1957 and the 16th tripartite ~~xxxxxx~~ conference at Nainital in May, 1958, a great deal of fuss was made over evolving what has come to be known as a Code of Conduct for maintaining discipline in industry. The veterans of the country's labour movement inspite of their knowledge and experience of the reactionery nature of the employers and of the Government agreed to this so-called Code of Conduct. The result has been that when the employers cried "wolf" the Government has rushed to their aid and suppressed the workers' strikes as illegal as was done in the case of the 25th July General Strike in Bombay. But when the employers act rashly and tear the Code to pieces by victimisation of workers, by refusing to negotiate with unions, etc. the Government not only fails to act, but even encourages the employers.

Both the unions involved in the present strikes are affiliated to the AITUC which is a party to the Code. I would like the AITUC leadership and especially Mr. S.A. Dange, its General Secretary, to repudiate the Code of Conduct immediately and call upon other central organisations of labour also to do the same. Angry statements have never moved our Government, and will not move it in the present case either. I also hope that the enitre working class of Bombay city will stand behind the striking workers and help them to carry on their struggle to a glorious end.

George Fernandes,
General Secretary.

Copy of:

1 1 1959

Rajasthan Municipal Employees Federation

(Rajasthan)

Head Office:-Udaipur

Ref No. 763/57-60 Dated 3rd August 1959.

To,
The Editor,
" Jan-Yug ",
LUCKNOW.

Dear Commarade,

In your issue of the 21st June '59 a report was noticed that the Local Bodies Union (Federation) in the United Kingdom is the beggest of its kind in that Country. This report was incorporated in the articlecontributed by Shri Rajiv Saksena on the International Comments.

Our Federation is contemplating to hold an All India Conference of Muncipal Employees Unions and we would like to contact a few selected Unions from abroad as well.

Will it be possible for you, therefore, to kindly let us have the postal Address of the Registered Office of the Federation of Municipal Workers Union in the United Kingdom so that an invitation may be sent out to them also.

An early action will be appreciated

Thanking you,

Yours faithfully,

R. Chandra Sharma

(RAMCHANDRA SHARMA)
SECRETARY.

S. A. DANGE,

(297)

4 Ashok Road,
New Delhi

August 12, 1959

My dear George Fernandes,

Your letter dated 10th August. I will put the papers and the question you have raised before the Samiti, when it meets next.

As a trade unionist, I should, of course, hold that the first thing for either party is to negotiate things across the table and try to have a negotiated agreement on the questions concerned. As regards what should be done if negotiations fail, I think, at present, the general atmosphere is to hold the view that disputed matters may be referred to arbitration by the consent of both parties. But that need not be made a condition precedent for negotiations. However, I will discuss it with you and others when I come to Bombay on 19th.

Yours sincerely,

S A Dange

(S.A.DANGE)

7 OCT 1959 राजस्थान म्युनिसीपल कर्मचारी संघ

पत्र संख्या- आर.एम.के.एस.यु-जी/१२२७/५९-६०

प्रधान कार्यालय-उदयपुर
दिनांक २८-८-५९

297

और से
मंत्री,
राजस्थान म्युनिसीपल कर्मचारी
संघ, उदयपुर ।

वास्ते
श्री शासन सचिव महोदय,
स्वायत शासन विभाग, राजस्थान,
जयपुर

विषय :- नगरपालिका कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन ८५)
पिच्यासी रूपया मासिक कायम करने हेतु ।

महोदय,

राजस्थान सरकार ने राजपत्र दिनांक ९ जुलाई १९५९ में नगरपालिकाओं को तीन श्रेणि-यों में विभाजित कर नगरपालिका कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन निर्धारित किया हैं, जो ९-९-५९ से लागू होगा ।

राजस्थान म्युनिसीपल कर्मचारी संघ की केन्द्रीय समिति ने अपनी बैठक दिनांक १२ और १३ जुलाई को एक प्रस्ताव पास किया कि नगरपालिका कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन ८५) रूपया मासिक निश्चित करने हेतु राजस्थान सरकार से निवेदन किया जायं ।

इसके पूर्व मैने अपने पत्र संख्या - आर.एम.के.एस.यु-जी/७३३/५९-६० दिनांक २१-५-५९ और पत्र दिनांक १२-६-५९ द्वारा उक्त मांग रखी थी, जिसके पश्चात राजपत्र में न्यूनतम वेतन के संबंध में राजाज्ञा प्रकाशित हुई ।

राजस्थान सरकार ने सन् ५५ में उक्त वेतन की दरें निश्चित करना प्रस्तावित किया था जो जनवरी ५८ में राजपत्र में प्रकाशित हुई और वे अब १९५९ के सितम्बर मास से लागू होगी।

राज्य सरकार ने वर्तमान काल में बढ़ती हुई मंहगाई का खयाल न रख और वर्तमान परिस्थिति को देखे बर ही यह न्यूनतम वेतन निश्चित किया हैं, जिसके द्वारा किसी भी नगर-पालिका के कर्मचारी को लाभ होने वाला नहीं हैं ।

सरकार ने न्यूनतम वेतन दरें निश्चित करने में नगरपालिका को तीन श्रेणियों में विभाजित किया हैं । नगरपालिकाओं का श्रेणी विभाजन समाप्त करने के लिये हमने १३ और १४ दिसम्बर १९५७ को, ७ और ८ अक्टूबर १९५८ को और पुन: हाल में ही प्रेषित ज्ञापन में भी मांग की हैं । प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारी का अलग अलग वेतन निर्धारित करना इस समय अव्यवहारिक, अवैज्ञानिक और न्याय संगत नहीं हैं । एक ओर राज्य सरकार नगरपालिका कर्मचारियों की सेवाओं का प्रान्तीयकरण कर रही हैं और दूसरी ओर असैद्धान्तिक प्रणाली द्वारा कर्मचारियों के भरपेट भोजन की व्यवस्था नहीं कर रही हैं और इस प्रकार मजदूरों का शोषण से राहत नहीं दिला रही हैं ।

राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार न्यूनतम वेतन का निर्धारण करना अवांछित हैं । कर्मचारी किसी भी श्रेणी की नगरपालिका में काम करें, उसका काम समान हैं और चाहे वह किसी स्थान में रहे, उसकी आवश्यकतायें समान हैं । मार्गों की सुविधायें एवम् परिवहन साधनों के विकास के कारण एक शहर से दूसरा शहर बहुत समीप आ गया हैं । आज गांवों के भावों तथा शहरों के भावों में कहने लायक अन्तर नहीं रहा हैं और इसलिये उसके खर्चे भी

समान हैं, फिर उनके वेतन में अन्तर रखना युक्ति संगत एवम् न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। हमारी राष्ट्रीय सरकार ने 'समाजवादी समाज रचना' करने का निश्चय किया। इस निश्चय के अनुसार 'समान काम करने वालों को समान वेतन दिया जायं' - इसका पालन स्वयं राज्य सरकार को करना चाहिये तथा अपनी स्वायत शासन संस्थाओं में करना चाहिये। एक ही नगर में एक ही प्रकार का कार्य करने वाले केन्द्रीय, राज्य सरकार के और नगरपालिका के कर्मचारियों के वेतन - स्तर में अन्तर 'समाजवादी समाज रचना' के सिद्धान्त के विपरीत हैं। केन्द्र, राज्य सरकार और नगरपालिका के कर्मचारी समान परिस्थिति में रहते हुए और समान काम करते हुए भी यदि उनके वेतन एवम् अन्य भत्तों में असमानता हो तो निश्चय ही नगरपालिका के कर्मचारी अपने वेतन के प्रति असंतुष्ट और अपने कार्य के प्रति लापरवाह होंगे।

नगरपालिकाओं में काम करने वालों में से अधिकांश हरिजन कर्मचारी होते हैं। केन्द्रीय और राज्य सरकार हरिजनों को समाज के अन्य जातियों के समान लाने के लिये करोड़ों रूपया व्यय कर रही हैं। परन्तु आज तक वह कामयाब नहीं हुई हैं। हरिजन आज भी जूंठन व बासी भोजन मांग कर के अपना भरण पोषण करता हैं। सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा हरिजनों को समाज के अन्य अंगों के बराबर लाने का सतत् प्रत्न करने पर भी वह स्वयं नहीं आना चाहता। ऐसा करने के लिये उसका दिल नहीं चाहता। क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हैं, उसके पास खाने को नहीं हैं। यह इतिहास सिद्ध और सत्य बात यह हैं कि जब तक लोगों की आर्थिक स्थिति नहीं सुधारी जायगी, वह आगे नहीं बढ़ सकेगा। परन्तु आप द्वारा न्यूनतम वेतन दर बहुत कम निर्धारित किया गया हैं जिससे उसे कोई राहत नहीं मिलेगी। सरकार ने अन्य उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों का न्यूनतम वेतन नगरपालिका कर्मचारियों से अधिक तय किया हैं। जबकि नगरपालिका कर्मचारी निकृष्ट से निकृष्ट कार्य करते हैं और तपेदिन एवम् संक्रामक रोगों से पीड़ित रहते हैं।

सरकार ने सूती मिलों में काम के भार और उनके वेतन स्तर की जांच के लिये 'दी राजस्थान एण्ड अजमेर कोटन टेक्सटाइल लेबर एडवाइजरी कमेटी', जिसे 'देशपांडे कमेटी' के नाम से भी संबोधीत करते हैं, बनाई थी। इस कमेटी ने सन् ५५ में सरकार को अपनी रिपोर्ट दी, उसमें न्यूनतम वेतन ६५) रूपया मासिक निश्चित करना प्रस्तावित किया था। सन् ५५ के पश्चात केन्द्रीय एवम् राज्य सरकार के करों में वृद्धि हुई हैं, जीवन-यापन की दैनिक उपयोगी आवश्यक वस्तुओं के भाव डेढ़े और दुगुने हो गये हैं। जिसके कारण देश में मंहगाई बहुत बढ़ी हैं। यदि सन् ५५ से ५९ के बीच अर्थात चार वर्ष में मंहगाई वृद्धि को कम से कम ३० प्रतिशत भी मान ले तो 'देशापांडे कमेटी' की रिपोर्ट के अनुसार ८५) मासिक न्यूनतम वेतन होना चाहिये था।

जबकि सरकार लोगों का रहन सहन का स्तर को बढाने के लिये प्रयत्नशील हैं। इस विगत वर्षों में आय के बनिस्पत लोगों का व्यय भार ~~बढ~~ बढ़ा हैं। वहां सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन ३३।।) और ३७।।) नियत किया हैं।

माननीय श्री बद्रीप्रसाद जी सा० गुप्ता, चेयरमैन, राजस्थान श्रम सलाहकार मण्डल, ने मण्डल की बैठक दिनांक ६-४-५९ में मालिकों के प्रतिनिधियों को स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि किसी उद्योग में १।।) दैनिक नहीं दिया जाता हैं तो ऐसे उद्योग धंधे को बन्द कर देना ही उपयुक्त हैं। चेयरमैन महोदय, जो स्वायत शासन एवं श्रम मंत्री भी हैं, ने राज्य सरकार की ओर से मण्डल के सदस्यों को आश्वासन दिया था कि सार्वजनिक क्षेत्र में मण्डल के निर्णय यथाशीघ्र लागू किये जायेंगे। इसके विपरित सरकार ने न्यूनतम वेतन १=) निश्चित किया हैं, जो किसी भी स्थिति में विचारणीय नहीं कहा जा सकता।

राजस्थान म्यु० कर्मचारी संघ राज्य सरकार की इस मजदूर विरोधी नीति का विरोध करता हैं और राज्य सरकार से पूरजोर शब्दों में मांग करता हैं कि राज्य सरकार अपने इस निश्चय पर पुनर्विचार करें तथा नगरपालिका कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन ८५) रू० निर्धारित करें।

राजस्थान म्युनिसीपल कर्मचारी संघ की केन्द्रीय समिति की बैठक दिनांक १२ और १३ जुलाई, १९५९ को पाली में हुई, उसमें स्वीकृत प्रस्ताव :-

----

प्रस्ताव सं० १

राजस्थान म्युनिसीपल कर्मचारी संघ द्वारा अपने प्रथम अधिवेशन (दिनांक १३ और १४ दिसम्बर १९५७) में स्वीकृत प्रस्ताव एवम् बाद में केन्द्रीय समिति की बैठक दिनांक ७ और ८ अक्टूबर १९५८में पारित प्रस्तावों को सरकार के पास कार्यान्वयन हेतु भेजे बहुत समय हो चुका हैं परन्तु राज्य सरकार ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की हैं । यहां तक की संघ के पत्रों का उत्तर भी नहीं दिया जाता हैं ।

केन्द्रीय समिति ने अपनी पिछली बैठक में कतिपय फौरी मांगें यथाशीघ्र स्वीकार ~~करने~~ करने के लिये रखी थी, उन्हें भी १० मास का समय होने आया हैं ।

केन्द्रीय समिति को बहुत दु:ख हैं कि नगरपालिका कर्मचारियों की ऐसी महत्वपूर्ण एवं जीवन यापन संबंधी मांगों को सरकारी विभागों की लाल फीताशाही में उलझा दिया जाता हैं ।

केन्द्रीय समिति अभी तक के पत्र व्यवहार को देखकर इस निश्चय पर पहुंची हैं कि राज्य सरकार बिना संघर्ष के नगरपालिका कर्मचारियों की मांगे स्वीकार करना नहीं चाहती हैं।

अत: राजस्थान म्युनिसीपल कर्मचारी संघ की केन्द्रीय समिति सभी संगठनों एवम् नगरपालिका कर्मचारियों को आह्वान करती हैं कि -

(१) आगामी ५ अगस्त को मांग-दिवस के रूप में मनायें ।

(२) जिन जिन नगरपालिकाओं में संगठन नहीं बने हैं, वहां पर केन्द्रीय समिति एवम् संगठन सदस्यों के पदाधिकारी जाकर के संगठन बनाये और उन्हें फैडरेशन से संबंधीत करें ।

(३) दिनांक २३ और २४ अगस्त को जयपुर में पुन: समिति की बैठक बुलाई जायं । इस बैठक में संगठन सदस्यों के अलावा जयपुर खण्ड के की नगरपालिकाओं से एक - एक प्रतिनिधि को भी आमन्त्रित किया जायं ।

रामनारायण

प्रस्ताव सं० २

राजस्थान सरकार ने १ अक्टूबर ५८ से २५०-०० तक वेतन पाने वाले राज्य कर्मचारियों के मंहगाई भते में ५) रूपया की वृद्धि की । परन्तु राज्य सरकार ने नगरपालिका कर्मचारियों के मंहगाई अलाउन्स में यह वृद्धि नहीं की ।

फैडरेशन की केन्द्रीय समिति ने नगरपालिका कर्मचारियों के मंहगाई भते में राज्य कर्मचारियों की तरह ही ५-०० रूपया वृद्धि करने बाबत प्रस्ताव पास किया । तदुपरान्त एक प्रतिनिधि मण्डल श्रीमि स्वायत शासन मंत्री जी एवं डिप्टी सैक्रेटरी साहब, स्वायत शासन विभाग से मिला, जिन्होने नगरपालिका कर्मचारियों के मंहगाई अलाउन्स में ५) वृद्धि करने का आश्वासन दिया ।

राजस्थान सरकार ने १ अक्टूबर ५८ से १००-०० तक वेतन तथा मंहगाई अलाउन्स पाने वाले म्युनिसीपल कर्मचारियों के मंहगाई भते में ५-०० रूपया की वृद्धि करने का आश्वासन दिया और इससे अधिक अर्थात् २५०-०० रूपया तक वेतन एवं मंहगाई अलाउन्स पाने वाले म्युनिसीपल कर्मचारियों का प्रश्न उन नगरपालिकाओं की इच्छाओं पर छोड़ दिया । इस आदेश के कुछ दिनों बाद सरकार ने एक अन्य आदेश निकाल कर यह अधिकार भी ले लिया ।

चूंकि कतिपय नगरपालिकाओं ने अपने कर्मचारियों के मंहगाई अलाउन्स में वृद्धि करने का प्रस्ताव भेजा, जो सरकार के पास विचाराधीन हीं हैं।

चूंकि नगरपालिकाओं में २००-०० से २५०-०० तक वेतन एवं मंहगाई पाने वाले कर्मचारी नाम मात्र ही रह जाते हैं, जिनके मंहगाई अलाउन्स में वृद्धि करने से नगरपालिका के वजट पर विशेष भार नहीं पड़ने वाला हैं।

चूंकि सरकार की पूर्व घोषणाओं के अनुसार नगरपालिका कर्मचारियों को वही मंहगाई भता मिल रहा हैं, जो राज्य सरकार के कर्मचारियों को। परन्तु इस नवीन मंहगाई वृद्धि में अन्तर कर सरकार ने पूर्व घोषणाओं एवम् प्रचलित नियमों की अवहेलना ही नहीं की वरन् म्युनिसीपल कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों से निम्न समझा हैं।

चूंकि मंहगाई का असर सभी श्रेणी के सभी कर्मचारियों पर समान रूप से पड़ता हैं। समान काम करने वालों को समान वेतन मिलना चाहिये परन्तु सरकार ने समाजवादी समाज रचना के सिद्धान्त की प्रत्यक्ष रूप से अवहेलना की हैं।

अत: राजस्थान म्युनिसीपल कर्मचारी संघ की केन्द्रीय समिति राज्य सरकार से पुरजोर शब्दों में मांग करती हैं कि २००-०० रूपयों से २५०-०० रूपयों तक वेतन पाने वाले म्युनिसीपल कर्मचारियों के मंहगाई भते में १ अक्टूवर ५८ से ५) पांच रूपयों की वृद्धि की जायं।

प्रस्ताव सं० ३

नगरपालिकाओं के कर्मचारी नगर के स्वास्थ्य एवम् सफाई के लिये रात दिन गंदगी, कूड़ा करकट, मैला आदि ढोते हैं। नगर में यदि कोई महामारी फैल जायं तो इसके लिये उन्हें इन महामारियों के भयंकर किटाणुओं से अपने प्राण संकट में डाल कर युद्ध करना पड़ता हैं। इस बात की हमेशा संभावना बनी रहती हैं कि वे इन बिमारियों से आक्रांत या पीड़ित न हो जायं।

चूंकि सफाई आदि के कार्य के लिये नगरपालिकाओं से साधन मुहय्या नहीं किये जाते हैं और जहां थोड़ बहुत दिये भी जाते हैं, वे पुराने ढंग केहोते हैं। इससे उन कर्मचारियों को टट्टियों से मैला और नालियों से गंदगी आदि को हाथ से साफ करनी पड़ती हैं। यहां तक की कर्मचारी मैला - पाखाना - सिर पर उठाकर निश्चित कचरा स्टेण्ड पर ले जाते हैं।

चूंकि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के बिमार हो जाने पर नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा देती हैं, जो दफतरों में कुर्सियों पर बैठकर कलम घसीटते हैं। इसके विपरित राष्ट्र के जीवन को स्वस्थ तथा स्वच्छ बनाने के लिये हानिकर किटाणुओं से रात-दिन झूझने वाले नागरिकों को चिकित्सा सुविधा नहीं देना मानवोचित नहीं हैं ?

चूंकि वर्तमान स्थिति में तो यही प्रकट होता हैं कि राज्य सरकार आवश्यकता के आधार पर नहीं वल्कि विशेष पद स्थिति (राज्य कर्मचारियों की) के कारण चिकित्सा सुविधा प्रदान करना चाहती हैं। यह भेदभावपूर्ण नीति नहीं तो क्या हैं ?

अत: राजस्थान म्युनिसीपल कर्मचारी संघ की केन्द्रीय समिति राज्य सरकार और नगरपालिकाओं से मांग करती हैं कि नगरपालिका कर्मचारियों की अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षा समय समय पर सुलभ की जायं ताकि उनके बिमार होने के पूर्व ही उचित चिकित्सा हो सके। जिससे छूत की बिमारी न फैल सके। यदि सरकार अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षा प्रणाली फिलहाल लागू नहीं करे तो कम से कम नि:शुल्क चिकित्सा की सुविधा तो नगरपालिकाओं कर्मचारियों को अवश्य प्रदान करें। इसी लिये 'मेडीकल एटेन्डेन्ट रूल्स' तत्काल म्युनिसीपल कर्मचारियों पर लागू करें।

प्रस्ताव सं० ४

राजस्थान सरकार ने नगरपालिकाओं की आय बढ़ाने के तरीके सुझाने के लिये श्री मथुरा दास माथुर, एम.पी. की अध्यक्षता में "म्युनिसीपल आय - स्त्रोत जांच समिति" की स्थापना की हैं ।

इस समिति ने एक प्रश्नावली बनाई, जिसे प्रान्त की सभी नगरपालिकाओं एवं संगठनों को अपने सुझाव भिजाने हेतु भेजा गया । प्रश्नावली में नगरपालिकाओं की आय बढ़ाने के साथ साथ नगरपालिका कर्मचारि ँ की सेवा स्थिति के संबंध में भी प्रश्न थ ।

राजस्थान म्युनिसीपल कर्मचारी संघ द्वारा समिति को नगरपालिका कर्मचारियों की सेवा स्थिति के संबंध में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया ।

ऐसा विदित हुआ हैं कि "नगरपालिका विधेयक १९५९" के लागू होने के कुछ समय बाद समिति द्वारा नगरपालिकाओं के आय बढाने के तरीके के बारे में जांच की जाकर राज्य सरकार को रिपोर्ट पेश की जाने की संभावना हैं ।

चूंकि नगरपालिकाओं में सेवा आदि नियमों के नहीं होने से कर्मचारियों की सुरक्षा नहीं हैं । सेवाओं की असुरक्षा एवं वेतन आदि के संबंध में निश्चित नीति न होने से हमेशा असंतोष रहता हैं ।

चूंकि स्थानीय स्वशासन के कर्मचारियों के बार बार मांग करने पर इस प्रकार की समिति की स्थापना की गई हैं और यदि यह समिति बिना जांच किये ही समाप्त हो जायं या कुछ वर्षों बाद अपना कार्य करें, यह निराशाजनक हैं ।

अत: राजस्थान म्युनिसीपल कर्मचारी संघ की केन्द्रीय समिति राज्य सरकार एवम् "नगरपालिका-आय - स्त्रोत- जांच समिति" के सदस्यों से अनुरोध करती हैं कि समिति फिलहाल नगरपालिकाओं की आय बढाने के तरीकों के सुझाने के संबंध में विचार न करें तो भी नगरपालिका कर्मचारियों की सेवा स्थिति एवम् वेतन आदि के बारे में तो राज्य सरकार को शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट पेश ~~करे~~ कर दें ।

प्रस्ताव सं० ५

नगरपालिकाओं में सेवा - नियम एवम् उपनियमों के नहीं होने से वहां एक प्रकार से स्वेच्छाचारिता का ही बोल बाला रहता हैं । कर्मचारियों को बिना कारण ही निकाल दिया जाता हैं और ऐसा करने में किसी भी प्रकार के कानून की पालना नहीं की जाती हैं। सस्पेंड और जुर्माने करने आदि की घटनायें तो आये दिन घटित होती रहती हैं ।

चूंकि नगरपालिका कर्मचारियों के डिसमिसल, सस्पेंड और जुर्माने आदि के विरुद्ध अपील करने के निश्चित नियम नहीं हैं । न्याय प्राप्त करने की खर्चीली एवम् लम्बी प्रणाली के कारण गरीव, अशिक्षित या अर्धशिक्षित व्यक्ति के लिये न्याय प्राप्त कर सकना दुर्लभ ही नहीं वरन् दुष्कर भी हैं ।

चूंकि नगरपालिका में अधिकांश व्यक्तिगत तत्व (पर्सनल एलिमेन्टस) काम करते हैं । इस कारण से कर्मचारियों को ज्यादाव शिकार होना पड़ता हैं ।

चूंकि भारतीय विधान केअनुसार प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिये ।

अत: राजस्थान म्युनिसीपल कर्मचारी संघ की केन्द्रीय समिति राज्य सरकार से निवेदन करती हैं कि प्रत्येक डिवीजन में एक "अपीलेट कमेटी" की स्थापना की जायं, जिसमें निम्न सदस्य हों :-

(१) राज्य सरकार का प्रतिनिधि १	(२) श्रम विभाग का प्रतिनिधि १
(३) नगरपालिका का प्रतिनिधि १	(४) राजस्थान म्युनिसीपल कर्मचारी संघ का प्रतिनिधि २

प्रस्ताव-६

नगरपालिकाओं में काम करने वाले कर्मचारी स्थानीय नगर या आस पास के देहातों के होते हैं। इन कर्मचारियों का स्थानान्तरण भी नहीं बहोता हैं। इस कारण इन्हें प्रारंभ से लेकर सेवा-मुक्ति तक एक ही नगरपालिका में कार्य करना पड़ता हैं। अधिकांश नगरपालिका कर्मचारियों के शहरों में मकान नहीं हैं और यदि हैं भी तो वे बहुत पुराने एवम् जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं।

चूंकि म्युनिसीपल कर्मचारियों का नागरिक जीवन से सीधा संबंध पड़ता हैं। आवश्यक - सेवा में होने के कारण म्युनिसीपल कर्मचारियों को किसी भी समय कार्य पर जाना पड़ता हैं। परन्तु नगर के विभिन्न भागों में स्थित होने के कारण दिन प्रतिदिन होने वाले जरूरी कार्यों में कठिनाई आती हैं।

केन्द्रीय एवम् राज्य सरकार ने नगरपालिका कर्मचारियों की आवास व्यवस्था के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विशेष प्रावधान रखा हैं।

अत: राजस्थान म्युनिसीपल कर्मचारी संघ की केन्द्रीय समिति की यह बैठक राज्य सरकार से निवेदन करती हैं कि -

(१) नगरपालिका कर्मचारियों के गृह निर्माण के लिये नगरपालिकाओं को सहायता प्रदान करें।

(२) नगरपालिका कर्मचारियों को इन्डस्ट्रीयल हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत सहायता और ऋण दिया जायें।

(३) हरिजन कर्मचारियों के गृह निर्माण के लिये 'स्लम क्लीयरेन्स एण्ड स्वीपर्स हाउसिंग स्कीम' के अन्तर्गत सहायता और ऋण दिया जायें।

(४) म्युनिसीपल कालोनी निर्माण के लिये नि:शुल्क या नाम मात्र की दर पर भूमि एलोट की जायें।

साथ ही केन्द्रीय समिति नगरपालिकाओं से निवेदन करती हैं कि अपने कर्मचारियों के गृह निर्माण के लिये ऋण, सहायता एवम् नि:शुल्क या नाम मात्र की दर पर भूमि एलोट करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करें।

प्रस्ताव सं० ७

राजस्थान सरकार ने राजाज्ञा सं० ४६४१,५८,एफ ७ ए (१४) एफ डी - ए (रूल्स) ५८ दि० २-३-५६ (वित विभाग) से राज्य कर्मचारियों के मंहगाई भते का कुछ हिस्सा मूल वेतन में दि० १-४-५८ से जोड़ने का आदेश निकाला हैं।

चूंकि राज्य सरकार ने यह आज्ञा राज्य कर्मचारियों के लिये ही निकाली हैं। नगरपालिका कर्मचारियों के वेतन में मंहगाई अलाउन्स का हिस्सा मिलाने का अभी तक कोई आदेश प्रसारित नहीं किया हैं।

चूंकि राज्य सरकार हमेशा नगरपालिका कर्मचारियों को उपेक्षा भरी दृष्टि से देखती हैं। नगरपालिका कर्मचारियों द्वारा वार बार मांग एवं आन्दोलन करने पर ही सरकार वे आज्ञाये नगरपालिका कर्मचारियों पर लागू करती हैं, जो राज्य कर्मचारियों पर पहले ही लागू कर दी जाती हैं।

फैडरेशन ने अपने पूर्व प्रस्तावों एवम् ज्ञापन में राज्य सरकार से मांग की थी कि नगर-

राज्येतर कार्य समक्ष उनके कर्मचारियों के प्रति किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिये।

चूंकि सरकार द्वारा समय समय पर अपने कर्मचारियों के लिये प्रसारित अलाभकर नियम नगरपालिकाओं के कर्मचारियों पर उसी प्रकार लागू कर दिये जाते हैं तो नगरपालिका कर्मचारियों पर लाभकर नियम भी उसी प्रकार लागू कर दिये जाने चाहिये, जिस प्रकार राज्य कर्मचारियों पर लागू होते हैं ।

अत: राजस्थान म्युनिसीपल कर्मचारी संघ की केन्द्रीय समिति राज्य सरकार से मांग करती है कि राज्य कर्मचारियों की तरह म्युनिसीपल कर्मचारियों के वेतन में मंहगाई अलाउन्स का हिस्सा दि० १-४-५८ से जोड़ा जायं ।

प्रस्ताव सं०८

स्थानीय स्व शासन प्रजातन्त्र की आधार शिला हैं । स्थानीय स्व शासन की सफलता ही प्रजातन्त्र की सफलता हैं और उस पर ही उसका समुचित विकास अवलम्बीत हैं ।

स्थानीय स्व-शासन की सफलता उसके कर्मचारियों के हाथों में सुरक्षित रहती हैं। यदि कर्मचारीगण योग्य नहीं हैं, कुशल नहीं हैं और न प्रशिक्षित ही हैं तो वह प्रशासन कागज का एक ढांचा मात्र रह जाता हैं । इसलिये स्थानीय स्वशासन केवल योग्य कर्मचारियों के हाथों में सुरक्षित रहना चाहिये ।

चूंकि स्थानीय संस्थाओं में अधिकांश कर्मचारी अधिक पढ़े हुए नहीं हैं और न उन्हें अंग्रेजी भाषा का पूर्ण ज्ञान ही हैं ।

चूंकि स्थानीय स्वशासन की योग्यता एवम् कार्य कुशलता संस्था के विकास एवं प्रजातन्त्र की सुदृढ़ता के लिये जरूरी हैं ।

चूंकि प्रशिक्षित कर्मचारियों के अभाव में स्थानीय संस्थाओं और लोकतंत्रीय प्रणाली का जैसा विकास होना चाहिये, आज तक नहीं हो पाया हैं और न आम नागरिकों को सहूलियत ही दी गई हैं तथा न उनमें इन संस्थाओं के प्रति रूची ही उत्पन्न की जा सकी पाई हैं।

चूंकि "स्वायत शासन प्रशिक्षण केन्द्र" का माध्यम अंग्रेजी में होने से अधिकांश कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर सके हैं । यदि कुछ कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक भी हैं तो स्थानीय संस्थाएं उन्हें नहीं भेजती ।

चूंकि हिन्दी राष्ट्र भाषा हैं और उसकी अधिक दिन तक उपेक्षा अनुचित हैं । राष्ट्र भाषा के प्रचार एवं प्रसार के लिये यह आवश्यक हैं कि प्रशिक्षण केन्द्र का माध्यम हिन्दी भाषा हों ।

अत: राजस्थान म्युनिसीपल कर्मचारी संघ की केन्द्रीय समिति राज्य सरकार और दी आल इंडिया इन्स्टीट्यूट आफ लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट, बम्बई से निवेदन करती हैं कि "स्वायत शासन प्रशिक्षण केन्द्र, जयपुर" के प्रशिक्षण का माध्यम हिन्दी किया जायं ।

समिति राजस्थान सरकार से अनुरोध करती हैं कि -

(१) प्रत्येक नगरपालिका से एक एक कर्मचारी को नगरपालिका के खर्चे से प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये भेजा जायं ।

(२) नगरपालिका के एग्जिक्युटीव आफिसर एवम् सेक्रेटीज की सिनीयरिटी की सूची बना कर १०-१० कर्मचारियों को क्रमश: प्रशिक्षण के लिये सरकारी या नगरपालिका के खर्चे से भेजा जायं ।

प्रस्ताव सं० ६

राजस्थान प्रान्त में सफाई का काम करने वाले हरिजन कर्मचारियों की स्थिति बड़ी दयनीय हैं । कर्मचारियों को न केवल कूड़ा-करकट बल्कि मैला एवम् पेशाब की सफाई भी करनी पड़ती हैं । परन्तु सफाई के कार्य के तरीके एवं साधन इस वैज्ञानिक युग में भी वही हैं जो सदियों पूर्व प्रचलित थे । किसी किसी नगरपालिका द्वारा तो सफाई के साधन मुहय्या नहीं किये जाते हैं जिससे कर्मचारियों को अल्प साधनों के कारण उन्हें निकृष्ट तरीके से कार्य करना पड़ता हैं ।

नगरपालिकाओं में टैकनिशयनों आदि ठठे के अभाव में सफाई एवम् स्वास्थ्य के लिये उचित मार्ग दर्शन नहीं मिल पाता । यही कारण हैं कि आज भी पालिका क्षेत्र में पुराने तरीके के पेशाबघर और टाट्टे बनवा दी जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हरिजनों को गंदा जीवन व्यतीत करना पड़ता हैं ।

केन्द्रीय एवम् राज्य सरकार हरिजनों के उत्थान के लिये प्रयत्नशील हैं । लेकिन जब तक हरिजनों द्वारा किये जाने वाले कार्य में आमूल परिवर्तन नहीं कर दिया जाता तब तक हरिजन लोग समाज के अन्य वर्ग के समान आ नहीं सकते । सरकार अभी तक मूल को छोड़कर बाह्य पहलू को ही ले बैठी हैं, जिससे यह समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई हैं ।

यदि हरिजनों की पुरानी कार्य पद्धति में परिवर्तन कर दिया जायं तो राजस्थान के नगर न केवल साफ सुथरे एवम् स्वच्छ नजर आयेंगें बल्कि छुआछूत की समस्या जिसके लिये सरकार प्रयत्नशील हैं, उसके लिये भी यह एक बहुत बड़ा कार्य हो सकता हैं ।

अत: राजस्थान म्युनिसीपल कर्मचारी संघ की केन्द्रीय समिति अपने समस्त संगठनों एवम् हरिजनोंत्थान में लगी समस्त संस्थाओं से निवेदन करती हैं कि वे अपने अपने संगठन की बैठक बुलाकर हरिजनों द्वारा किये जाने वाले कार्य के तौर और तरीकों में किस प्रकार परिवर्तन किया जायं, गोष्ठी करें तथा इस गोष्ठी की रिपोर्ट प्रधान कार्यालय में भिजवावें । उक्त रिपोर्ट में वर्तमान स्थिति का पूरा पूरा विवरण एवम् सुधार करने पर होने वाले लाभ का उल्लेख होना चाहिये ।

संगठनों एवम् संस्थाओं द्वारा इस संबंध में रिपोर्ट आने पर केन्द्रीय समिति में विचार किया जायगा तथा उस रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार को एक ज्ञापन पेश किया जायगा ।

[signature]

प्रस्ताव सं० १०

प्रान्त की अधिकांश नगरपालिकाओं में चुंगी नाकों पर काम करने वाले कर्मचारियों से १२ और १४ घंटे तक कार्य करना पड़ता हैं । जबकि नियम के अनुसार ४८ घंटे से अधिक कार्य नहीं लिया जाना चाहिये ।

चुंगी कर्मचारियों को नाकों पर विशेष समय काम करने का किसी प्रकार का अलाउन्स नहीं दिया जाता हैं ।

अत: राजस्थान म्युनिसीपल कर्मचारी संघ की केन्द्रीय समिति राज्य सरकार एवम् नगरपालिकाओं से पुरजोर शब्दों में मांग करती हैं कि नियत समय (नियमानुसार) से अधिक कार्य न लें । यदि पालिकायें कर्मचारियों से नियत समय से अधिक कार्य ले तो उन्हें नियमानुसार ओवरटाइम अलाउन्स दिया जायं ।

[signature]

RESOLUTION No. 11.

ON FORMATION OF WORKS COMMITTEES.

It has been observed that these days a number of issues are arisingbetween the management and the Labourers of the Municipal bodies and that every time it is required to approach the Tribunal or the Board. These requires lot of time and nergy both and at times it becomes very difficult to get decisions within the specified time.

According to the decision of the Industrial Disputes Court it has been made obligatory that everywhere where there is any possibility of differences arising between the Management and the Labour Works Committee consisting of the Representatives of the Employer and the Employee should be formed which would deal various problems in a systematic manner.

The various issues and types difficulties that occur during the day to day working of the Muncipalities are listed in a seperate list attached hereto.

The Committee therefore resolves that every Muncipal Employees Union should arrange the formation of Works Committee within their Unit, in a specified time so as to create a channel for smooth, cordial and efficient working of the establishment.

The Central also requests the management of various Muncipalities, District Boards and such other bodies to take lively interest in the working of their own establishment and help the local Union to form a Works Committee as soon as possible.

TYPES OF ISSUES

1) Prohotiom of Physical welfare and the improvement of working conditions, provisions of Drinking Water accident prevention and provision of Safety appliances.

2) The distribution of working hours, starting & closing time and rest periods.
time

3) Leave scheme for statuory leave

4) Entertainment and Sports.

5) Question of discipline and conduct as between Management and workers and between Workers and Workers.

6) Time Keeping, malingering, bullying, quarrels when on Duty etc.

7) Prevention of Money lending

8) Suggestion of improvements in methods and organisation of Work

9) Investigation of circumstances tending to reduce efficiency or in any way to interfere with satisfactory working of the establishment.

10) Educatio of the Workers and their rights and duties under various labour laws applicable to them.

11) Education of Workers in matters of National Economy.

12. Matters pertaining to time of payment of wages, explaination of calculation or piece rates and Holidays.

13. Absentees and cause-faults

14. Paid Holidays

15) Overtime work and payments.

16) Investment in National Savings Scheme

17) Safety provisions.

18) Provision of Canteens on cooperative basis to include x supplies of Provisions also.

19) Various facilities warranted under Labour Law or by Custom or tradition,

20) Individual complaints of workers

21) Labour Welfare measures.

R. Sharma

RESOLUTION No. 12.

FIXING OF MINIMUM WAGES.

The Central Committee of the Rajasthan Municipal Employees Federation held at Pali on 12th and 13th July 1959 took into consideration the letter No.RMKS/U-G/733/59-60 dated 21-5-59 from the General Secretary, R.M.E.Federation to the Secretary Local Self Government, Rajasthan, Jaipur regarding the fixation of mimimum wages of Municipal Emmployees of Local Bodies and the Committee resolved that Minimum wages of Rs.85/- per month should be fixed at an early date.

R Sharma

प्रस्ताव सं० १३

म्युनिसीपल कौंसिल जयपुर में नियुक्त हरिजन महिलायें पार्ट ही चली आ रही हैं ; इसी तरह कुछ हरिजन कर्मचारी अस्थाई ही रख छोड़े हैं ।

महिला एवं पुरूष कर्मचारियों को काम करते हुए बहुत समय हो गया हैं परन्तु वे अभी तक सब पार्ट टाइम एवं अस्थाई ही चले आ रहे हैं जो कि नियम केविरूद्ध हैं ।

अत: राजस्थान म्युनिसीपल कर्मचारी संघ की केन्द्रीय समिति जयपुर म्युनिसीपल कौंसिल के अधिकारियों एवम् राज्य सरकार से निवेदन करती हैं कि म्युनिसीपल कौंसिल जयपुर में काम करने वाले महिला एवम् पुरूष कर्मचारी को पूर्णकालीन एवम् स्थाई किये जायं और उन्हें `ए` श्रेणी नगरपालिका की वेतन - श्रृंखला दी जायं ।

रामस्वरूप शर्मा

प्रस्ताव सं० १४

राजस्थान म्युनिसीपल कर्मचारी संघ की केन्द्रीय समिति प्रान्त की सभी नगरपालिकाओं से निवेदन करती हैं कि अपने कर्मचारियों के मनोरंजन (Recreation) के लिए नगरपालिका की ओर से वेलफेयर सेन्टर खोले जायं।

स्वीकार

प्रस्ताव सं० १५

स्थानीय स्वशासन की सफलता लोकतन्त्र की सफलता एवम् सुदृढ़ता हैं। यदि स्थानीय स्वशासन असफल हो जाता हैं तो प्रजातन्त्र अधिक दिन नहीं चल सकता। और स्थानीय स्वशासन की सफलता - असफलता बहुत कुछ उसके कर्मचारियों पर निर्भर करती हैं।

नगरपालिकाओं का सीधा संबंध आम जनता से होता हैं। अत: उसके कर्मचारियों का भिन्न भिन्न प्रकृति के कर्मचारियों से काम पड़ता हैं। यदि उनके कार्य में किसी प्रकार की ढ़िलाई या देरी हो जाती हैं तो वह नगरपालिका एवम् कर्मचारियों के संबंध में एक गलत विचार लेकर चला जाता हैं साथ ही स्वार्थरत व्यक्तियों को कर्मचारियों के विरुद्ध जनता में गलतफहमी पैदा करने का अवसर मिल जाता हैं।

कभी कभी हमारी मांगे पालिका की आर्थिक स्थिति की वजह से भी अस्वीकार कर दी जाती हैं और कर्मचारियों को अल्प वेतन में ही सेवा करने के लिये मजबूर होना पड़ता है।

अत: राजस्थान म्युनिसीपल कर्मचारी संघ की केन्द्रीय समिति समस्त सदस्य संगठनों से निवेदन करती हैं कि -

(१) नगरपालिका की आय वढ़ाने के लिये नगरपालिका को सुझाव दें और उसके प्रयत्न करें।

(२) नगरपालिका के दैनिक कार्य में तत्परता और स्फूर्ति लाने, प्रशासनीक कार्य में सुधार करने के लिये संगठन की बैठक में विचार करें और ऐसी प्रणाली सुझायें जिससे आम जनता को अधिक से अधिक सहूलियत मिलें।

समिति नगरपालिका से भी निवेदन करती हैं कि स्थानीय संगठनों एवम् कर्मचारियों को इस कार्य में सहायता प्रदान करें और संगठन जो भी सुझाव दें पालिका उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करें और उन्हें कार्यान्वित करें।

स्वीकार

प्रस्ताव सं० १६

केन्द्रीय समिति की पिछली बैठकों में स्थगित विषय संघ द्वारा एक पत्रिका का प्रकाशन करने के संबंध में विचार विमर्श करने के पश्चात् सर्व सम्मति से निश्चय किया कि -

(१)

(अ) फेडरेशन के अन्तर्गत फिलहाल एक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जायें, जिससे संगठन की मांगों, स्थानीय संगठनों की समस्याऐं, और कर्मचारियों के साथ किये जाने वाले व्यवहार, ~~xxxxxxx~~ संगठन की प्रगति आदि की जानकारी, नगरपालिकाओं एवम् आम जनता को हो सकें।

(ब) स्वस्थ नागरिक जीवन एवम् स्वायत शासन के विकास के लिये संगठन द्वारा प्रयत्न किया जायें।

(२) अखिल भारतीय स्वायत शासन कर्मचारी (प्रथम) सम्मेलन के पूर्व एक अंक प्रकाशित किया जायें।

(३) सदस्य संगठनों से निवेदन किया जायें कि अधिक से अधिक स्थानीय तौर से विज्ञापन प्राप्त कर भिजवावें।

प्रस्ताव सं० १७

केन्द्रीय समिति ने अपनी पिछली बैठक में एक प्रस्ताव (संख्या ७) पास किया था कि प्रत्येक डिवीजन को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर, प्रत्येक इकाई का एक एक संयोजक नियुक्त किया जायें। इससे अधिक से अधिक संगठन बन सकेंगे और बाद में क्षेत्रीय समितियों का गठन आसानी से किया जा सकेगा।

समिति को यह मालूम हुआ हैं कि किसी भी संयोजक ने संगठन बनाने के लिये प्रयत्न नहीं किया हैं।

अत: केन्द्रीय समिति निश्चय करती हैं कि सभी संगठनों को लिखा जायें कि अपने डिवीजन में किस किस नगरपालिका की इकाई बनाई जायें एवं उस इकाई का किस साथी को संयोजक नियुक्त किया जायें।

सभी संगठनों से इस आशय की सूचना आने पर मंत्री जी इकाई बनाने और उसके संयोजक नियुक्त करें।

प्रस्ताव सं० १८

केन्द्रीय समिति सन् १९५९-६० के लिये फेडरेशन का निम्न बजट (आय-व्यय) स्वीकार करती हैं -

आय	व्यय
२५००) वार्षिक शुल्क	२५०) आफिस किराया
२५०) सदस्य - शुल्क	२००) स्टेशनरी और छपाई
८०००) विशेष चन्दा	१००) पुस्तकें एवम् पत्र
२५०) अन्य	३००) साधन सामग्री
---------	२००) प्रचार
१००००)	३००) प्रवास व्यय

३००) पोस्टेज खर्च
३००) मुकदमा खर्च
५००) वार्षिकोत्सव
६५००) अखिल भारतीय स्वायत शासन कर्मचारी सम्मेलन
५००) पत्रिका प्रकाशन
१००) अन्य व्यय
१०००) बचत

१००००)

रामचन्द्र शर्मा

प्रस्ताव सं० १९

अखिल भारतीय स्वायत शासन कर्मचारी (प्रथम) सम्मेलन एवम् फेडरेशन के द्वितीय अधिवेशन के संबंध में विचार विमर्श किया गया और सम्मेलन के ~~लिये~~ संबंध में विभिन्न प्रान्तों के संगठनों से हुए पत्र - व्यवहार को भी पढ़ा ।

केन्द्रीय समिति आज तक के पत्र व्यवहार को देखकर हर्ष प्रगट करती हैं और निश्चय करती हैं कि अक्टूबर के तृतीय सप्ताह में यह अधिवेशन उदयपुर में बुलाया जायं ।

चूंकि संघ की ओर से विभिन्न संगठनों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हैं, अत: दोहरे खर्चे से बचने के लिये समिति संकल्प करती हैं कि अखिल भारतीय स्वायत शासन कर्मचारी (प्रथम) सम्मेलन के साथ ही 'राजस्थान म्युनिसीपल कर्मचारी संघ' का अधिवेशन भी बुला लिया जायं।

समिति को यह भी मालूम हुआ हैं कि लोकल सेल्फ इन्स्टीट्यूट बम्बई और ओल इंडिया लोकल बाडिज आफिसर्स ~~xxxxxxxx~~ एसोसियेशन द्वारा नगरपालिकाओं के अध्यक्षों एवम् अधिकारियों का प्रतिवर्ष विभिन्न प्रान्तों में अधिवेशन बुलाया जाता हैं । अत: समिति उक्त संगठनों के संयोजकों और उदयपुर सिटी कार्पोरेशन के अध्यक्ष से अनुरोध करती हैं कि देश की विभिन्न नगरपालिकाओं के अध्यक्षों एवम् अधिकारियों की कांफ्रेन्स इस वर्ष प्रथम सम्मेलन के अवसर पर उदयपुर में बुला ले ताकि नगरपालिकाओं एवम् कर्मचारियों की सामान्य समस्याओं पर अच्छी प्रकार से विचार किया जा सकें ।

इस अवसर पर माननीय प्रधान मंत्री जी एवम् माननीय रक्षा मंत्री जी और मजदूर साथियों को आमन्त्रित किया जायं ।

समिति सम्मेलन संबंधी समस्त कार्यवाही करने के लिये मंत्री जी को अधिकार देती हैं।

रामचन्द्र शर्मा

प्रस्ताव सं० २०

संघ की सन् १९५८-५९ की आडिट रिपोर्ट पढ़ी गई तथा मंत्री जी ने संगठन की आर्थिक स्थिति पर भी प्रकाश डाला ।

समिति को अत्यन्त दु:ख हैं कि सदस्य - संगठन अपना वार्षिक - शुल्क नहीं भिजाते तथा जिन जिन नगरपालिकाओं में संगठन नहीं हैं, वहां पर भी संगठन भी नहीं बनाये जा रहे हैं ।

राजस्थान म्युनिसीपल कर्मचारी संघ का द्वितीय अधिवेशन एवम् अखिल भारतीय स्वायत शासन कर्मचारी (प्रथम) सम्मेलन ने अक्टूबर मास में आयोजित किया जा रहा हैं ।

चूंकि इस वृहत सम्मेलन पर विशेष व्यय होगा, जो सभी संगठनों एवम् नगरपालिका कर्मचारियों द्वारा एकत्रित किया जायगा ।

अत: केन्द्रीय समिति निश्चय करती है कि -

(१) जिन सदस्य संगठनों ने अपना वार्षिक शुल्क नहीं भिजाया हैं, शीघ्र भिजवावें।

(२) जिन जिन नगरपालिकाओं में अभी तक संगठन नहीं बने हैं या जहां पर संगठन तो हैं परन्तु वे अभी तक फेडरेशन से संबंधीत नहीं हुए हैं, वहां पर शीघ्र ही संगठन बनाया जायं और फेडरेशन से संबंधित किये जायें ।

(३) प्रत्येक सदस्य संगठन इन अधिवेशनों के लिये स्थानीय सदस्यों, नागरिकों से धन संग्रह करें, और

(४) विशेष संग्रह के लिये स्थानीय नगर में चेरिटी शो (सिनेमा), अभिनय आदि का आयोजन करें ।

केन्द्रीय समिति प्रत्येक सदस्य संगठन की कार्यकारिणी समिति एवम् सदस्यों से और नगरपालिकाओं कर्मचारियों से निवेदन करती हैं कि वे धन संग्रह करने का कार्य शीघ्र प्रारंभ कर दें । धन संग्रह करने के लिये केन्द्रीय कार्यालय से रसीद - बुक प्राप्त कर लें ।

----

8 SEP 1959

राजस्थान म्युनिसीपल कर्मचारी संघ

(प्रधान कार्यालय-उदयपुर)

राजस्थान म्युनिसीपल कर्मचारी संघ की केन्द्रीय समिति की बैठक केन्द्रीय समिति की बैठक रविवार दि० ७-१०-५८ और सोमवार दि० ८-१०-५८ को किशन.. म्युनिसीपल कर्मचारी संघ के कार्यालय (मदनगंज) में हुई । इस बैठक में सर्व सम्मति से निम्न प्रस्ताव पास किये गये -

प्रस्ताव - १

राजस्थान म्युनिसीपल कर्मचारी सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन (दिसम्बर १९५७) में स्वीकृत प्रस्ताव एवम् मेमोरेन्डम राज्य सरकार और नगरपालिकाओं के पास कार्यान्वयन हेतु भेजे एक वर्ष होने आया है ।

केन्द्रीय समिति को यह जानकर एवम् आज तक के पत्र व्यवहार को देखकर अत्यन्त खेद है कि राज्य सरकार और नगरपालिकाएं म्युनिसीपल कर्मचारियों के प्रति उपेक्षा वृति धारण किये हुए है ।

स्वतन्त्र एवम् प्रगतिशील देश के नागरिकों को उनकी सेवाओं के फल स्वरूप जो सुविधायें मिलनी चाहिये, वे सुविधायें और लाभ राजस्थान राज्य के म्युनिसीपल कर्मचारियों को नहीं मिल पा रहे है । उक्त प्रस्तावों में म्युनिसीपल कर्मचारियों के सम्बन्धी वाजिब, जरूरतमन्द एवम् न्यायोचित मांगे थी, जो आज तक पूरी नहीं की गई है और उन्हें सचिवालय की 'लाल फीताशाही' में उलझा रखी है ।

राजस्थान म्युनिसीपल कर्मचारी सम्मेलन (प्रथम) में स्वीकृत प्रस्तावों में निम्न मांगे मुख्य थी :-

(१) सरकारी कर्मचारियों की तरह ही म्युनिसीपल कर्मचारियों पर भी ... आदि नियम लागू किये जाय ।

(२) प्रोविडेन्ट फण्ड का लाभ सभी श्रेणी के कर्मचारियों को दिया जाय ।

(३) म्युनिसीपल कर्मचारियों को छ: (६) माह की अवधि के पश्चात स्थाई किया जाय ।

(४) आउट डोर में काम करने वाले कर्मचारियों को त्यौहारों की १० दिन की छुट्टी सवेतन दी जाय ।

(५) तमाम म्युनिसीपल कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाय ।

(६) राजस्थान म्युनिसीपल कर्मचारी संघ की बैठकों में सम्मिलित होने वाले सदस्यों को स्पेशल केज्यूअल लीव दी जाय ।

राजस्थान सरकार ने एक अक्टूबर ५८ से २५०) रूपया तक वेतन पाने वाले राज्य सरकार के तमाम कर्मचारियों के महगाई भते में ५) रूपया की वृद्धि की है ।

पी० टी० ओ०

राजस्थान के समस्त म्युनिसीपल कर्मचारियों को उक्त लाभ से जानबूझ कर वंचित रखा गया है, जबकि राजस्थान सरकार ने अपनी पूर्व आज्ञाओं द्वारा यह घोषणा की थी कि म्युनिसीपल कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते की वही दर होगी, जो राज्य सरकार के कर्मचारियों की होगी।

चूंकि अधिकांश नगरपालिकाओं में म्युनिसीपल कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता सरकार द्वारा घोषित दरों के अनुसार ही दिया जा रहा है।

चूंकि सन् ५७ में राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की तरह ही म्युनिसीपल कर्मचारियों के महगाई भत्ते में भी वृद्धि की थी।

चूंकि प्रान्त में बढती हुई महगाई का असर सभी उद्योगों में काम करने वाले सभी श्रेणी के कर्मचारियों पर समान रूप से पडा है।

केन्द्रीय समिति २५०) ढाई सौ रूपया तक वेतन पाने म्युनिसीपल कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में ५) पांच रूपया की बढोतरी करने एवम् उक्त छः मांगों को पुनः दोहराते हुए राजस्थान सरकार और नगरपालिकाओं से पुरजोर शब्दों में मांग करती है कि एक माह के अन्दर अन्दर ये मांगे स्वीकृत करें। इस अवधि में ये मांगे स्वीकृत नहीं की गई तो म्युनिसीपल कर्मचारियों को सीधी कार्यवाही करने के लिये मजबूर होना पडेगा। इस संघर्ष की समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार और नगरपालिकाओं की होगी।

सरकार इन मांगों को उक्त अवधि में मंजूर नहीं करे तो केन्द्रीय समिति प्रान्त के समस्त म्युनिसीपल कर्मचारियों को संघर्ष की तैयारी के लिये आह्वान करती है। इस अवधि की समाप्ति के पूर्व संघर्ष के लिये रूपरेखा बनाने हेतु केन्द्रीय समिति की और विभिन्न संगठनों के सदस्यों की एक सम्मिलित बैठक ब्यावर में बुलाई जाय।

मांगे -
----

(१) राजस्थान राज्य के २५०) रूपया तक वेतन पाने वाले तमाम म्युनिसीपल कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में १ अक्टूबर १९५८ से ५) रूपया की वृद्धि की जाय।
(२) राजस्थान सिविल सर्विस रूल्स पूर्ण रूप से राजस्थान के तमाम म्युनिसीपल कर्मचारियों पर लागू करने की घोषणा की जावे तथा समय समय पर इसके तहत मिलने वाली सुविधायें भी दी जाय।
(३) प्रॉविडेन्ट फण्ड का लाभ सभी श्रेणी के म्युनिसीपल कर्मचारियों को दिया जाय।
(४) म्युनिसीपल कर्मचारियों को छः माह की अवधि के बाद स्थाई किया जाय।
(५) नगरपालिकाओं में आउट डोर में काम करने वाले कर्मचारियों को त्यौहारों की १० दिन की सवेतन छुट्टी दी जाय।
(६) तमाम म्युनिसीपल कर्मचारियों को सवेतन साप्ताहिक अवकाश दिया जाय।
(७) राजस्थान म्युनिसीपल कर्मचारी संघ की बैठकों में सम्मिलित होने वाले सदस्यों को स्पेशल केज्युवल - लीव दी जाय।

देश मे जीवन की आधार भूत उपभोग्य वस्तुओ के दाम दिन प्रतिदिन बढते जा रहे है और इस कारण सरकारी विभागो मे काम करने वाले कर्मचारियो और मजदूरो का जीवन - निर्वाह उनको मिलने वाले वेतन एवम् महगाई भते मे नही हो पाता है । केन्द्रीय सरकार ने अपने कर्मचारियो की इस कठिनाई को समझा और सन् १९५७ मे अपने कर्मचारियो के वेतन - स्तर की जांच के लिये पे - कमीशन की स्थापना की और इसके साथ ही अन्तरिम सहायता के रूप में कर्मचारियो के महगाई भते मे ५) पाच रूपये की वृद्धि भी की ।

राजस्थान सरकार ने भी राज्य मे बढती हुई महगाई को ख्याल मे रखते हुए राज्य कर्मचारियो के महगाई भते में सन् १९५७ और सन् १९५८ मे क्रमशः ५)-५) रूपये की वृद्धि की घोषणा की थी ।

राज्य कर्मचारियो को इस समय जो वेतन और महगाई भता मिल रहा है वह केन्द्र के कर्मचारियो से बहुत कम है और इस कारण उन्होने ने भी राज्य सरकार से अपने वेतन तथा महगाई भते मे वृद्धि की मांग की है, जो सरकार के विचाराधीन है ।

इस समय राजस्थान ~~राजस्थान~~ राज्य मे स्थानीय निकायो (लोकल-बाडीज) के कर्मचारियो को जो वेतन और महगाई भता मिल रहा है, वह राज्य कर्मचारियो से भी कम है । सन् १९५६ मे राजस्थान सरकार ने राज्य की नगरपालिकाओ को उनकी आय के आधार पर ७ विभिन्न श्रेणियो मे विभाजित किया है और प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियो के लिये भिन्न भिन्न वेतन श्रृंखलाऐ निश्चित की है । ये वेतन-श्रृंखलाऐ भी कई नगरपालिकाओ ने अपने कर्मचारियो पर अब तक लागू नही की है । किन्ही किन्ही नगरपालिकाओ मे कर्मचारी फिक्स वेतन पर काम कर रहे है तो कहीं कहीं पर कर्मचारियो को महगाई भता ही नही मिलता ।

चूंकि देश मे महगाई दिन प्रति दिन बढ रही है और उधर सरकार द्वारा जीवन-स्तर बढाने के लिये प्रयत्न किये जा रहे है, जिससे भविष्य मे मंहगाई के और बढने की संभावना है ।

चूंकि स्थानीय निकायो मे काम करने वाले कर्मचारियो को मिलने वाला वेतन और मंहगाई भता वर्तमान मंहगाई में बहुत अपर्याप्त है और वे स्टारविंग लेवल (Starving Level) पर अपना जीवन निर्वाह कर रहे है ।

चूंकि स्थानीय निकाय केन्द्र और राज्य सरकारो के अंग (Part & Participate) है और ये वही काम कर रहे है, जो उनके अभाव मे केन्द्र अथवा राज्य सरकारो को स्वयं करना पड़ता है ।

चूंकि स्थानीय निकाय प्रजातन्त्र की आधार शिलाऐ है और इन आधार शिलाओ को सुदृढ करने और प्रजातन्त्र को सफल बनाने के लिये स्थानीय निकायो के कर्मचारियो की दशा सुधारना उचित एवम् आवश्यक है ।

चूंकि एक ही राष्ट्र की सेवा करने वाले विभिन्न कर्मचारियो के वेतन-श्रृंखलाओ एवम् मंहगाई भते मे विभेद करना असमानता का प्रतीक और नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध है ।

चूंकि एक ही नगर में एक ही प्रकार का काम करने वाले केन्द्र, राज्य तथा स्थानीय निकाय के कर्मचारियों को वेतन एवम् महगाई भत्ता भिन्न भिन्न मिलने के कारण एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष और भेदभाव की भावना उत्पन्न होती है और कर्मचारियों में हीन भावना पैदा होती है। यह एक सबल और सफल राष्ट्र के निर्माण के लिये अहित कर है।

चूंकि नगरपालिका श्रेणी के आधार निर्धारित वेतन-श्रृंखला प्रणाली आज की परिस्थिति में सर्वथा अनुपयुक्त एवम् अयोग्य साबित हुई है। क्योंकि वर्तमान यातायात के साधनों में वृद्धि के कारण जीवन की आधार भूत आवश्यक सामग्री के भाव एवम् दाम सब जगह समान से हो गये हैं।

चूंकि नगरपालिका कर्मचारियों को वर्तमान में मिल रहा वेतन एवम् महगाई भत्ता बहुत कम है। इस अल्प वेतन एवम् महगाई भत्ते में उनका गुजारा नहीं हो रहा है।

अतः राजस्थान म्युनिसीपल कर्मचारी संघ की केन्द्रीय समिति यह निश्चय करती है और राज्य सरकार एवम् नगरपालिकाओं से अनुरोध करती है कि -

(१) राज्य सरकार द्वारा सन् १९५६ में निश्चित की गई स्थानीय निकायों (नगरपालिकाओं) की श्रेणियां समाप्त की जाय।

(२) यदि केन्द्र, राज्य और स्थानीय निकायों की वेतन - श्रृंखला और महगाई भत्तों का भेद अभी समाप्त करना किन्हीं कारणों से सम्भव न हो तो राज्य एवम् स्थानीय निकायों की वेतन - श्रृंखला और महगाई भत्ते का अन्तर तो अविलम्ब समाप्त कर दिया जाय और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों कर्मचारियों को भी वही वेतन तथा महगाई भत्ता दिया जाय, जो इस समय राज्य कर्मचारियों को मिल रहा है।

(३) राज्य सरकार द्वारा समय समय पर राज्य कर्मचारियों के लिये की जाने वाली वेतन वृद्धि और महगाई भत्ता का लाभ स्थानीय निकायों - नगरपालिकाओं - के कर्मचारियों को भी तत्काल दे दिया जाय।

राजस्थान म्युनिसीपल कर्मचारी संघ की केन्द्रीय समिति राज्य सरकार और नगरपालिकाओं से अनुरोध करती है कि वे केन्द्रीय समिति के इस प्रस्ताव को सहानुभूतिपूर्वक एवम् उदार दृष्टिकोण से विचार करें और अधिक से अधिक एक माह में इस प्रस्ताव को स्वीकार कर संघ को अपने निर्णय से सूचित करें ताकि केन्द्रीय संघ को आगे कोई कार्यवाही करने के लिये विवश न होना पड़े।

21/11/[illegible]

प्रस्ताव - ३

विषय :- कॉ- फेडरेशन सम्बन्धी

राजस्थान प्रान्त मे दिन प्रतिदिन बढती हुई मंहगाई के सम्बन्ध मे प्रान्त के सरकारी, अर्द्ध सरकारी और गैरसरकारी संघठनों और फेडरेशनों ने सामूहिक रूप से संघर्ष करने के सम्बन्ध में एक " संयुक्त संघर्ष समिति " का निर्माण किया है ।

राजस्थान म्युनिसीपल कर्मचारी संघ की केन्द्रीय समिति " संयुक्त संघर्ष समिति " का स्वागत करती है और इस प्रस्तावित का-फेडरेशन मे सम्मिलित होने का निर्णय करती है ।

(एम्पलॉयज)

केन्द्रीय समिति " राजस्थान गवर्नमेन्ट कां-फेडरेशन " द्वारा रखी गई मांगो का पूर्ण समर्थन करती हुई राज्य सरकार से पुरजोर शब्दो मे मांग करती है कि इन्हे शीघ्रातिशीघ्र स्वीकृत करे ।

राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के मंहगाई भते मे १ अक्टूबर १९५८ से ५) पांच रूपया की वृद्धि की है और इस वृद्धि से म्युनिसीपल कर्मचारियो को वन्चित रखा गया है, जबकि मंहगाई वृद्धि का असर सभी पर समान रूप से पडा है । समिति को खेद है कि सरकार हमेशा म्युनिसीपल कर्मचारियो के साथ सौतेला व्यवहार करती रही है ।

राजस्थान म्युनिसीपल कर्मचारी संघ की केन्द्रीय समिति ने एक अन्य प्रस्ताव द्वारा राज्य सरकार और नगरपालिकाओ से २५०) रूपया तक वेतन पाने वाले तमाम म्युनिसीपल कर्मचारियो के मंहगाई भते मे १ अक्टूबर ५८ से ५) पांच रूपया की वृद्धि करने की मांग की है । इस मांग को स्वीकृत करने के लिये एक मास की अवधि है । समिति आशा करती है कि कां-फेडरेशन इस मांग को स्वीकृत कराने मे पूरी पूरी इमदाद करेगा ।

केन्द्रीय समिति " राजस्थान गवर्नमेन्ट एम्पलॉयज कां-फेडरेशन " के निर्माण सम्बन्धी कार्यवाही मे भाग लेने के लिये निम्नांकित सात सदस्यों को अपना प्रतिनिधि चुनती है :-

(१) श्री पूर्णानन्द व्यास
(२) श्री रामचन्द्र शर्मा
(३) श्री अब्दुलकरीम असारी
(४) श्री कृष्णाकान्त वर्मा
(५) श्री घासीलाल
(६) श्री सत्यनारायण शर्मा
(७) श्री लक्ष्मीलाल

प्रस्ताव - ६

चूंकि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात देश ने अपना संविधान प्रजातन्त्र के आधार पर निर्मित किया है और राष्ट्र एक सच्चे प्रजातान्त्रिक देश के रूप में विकसित हो रहा है।

चूंकि इस प्रजातन्त्र का रूप देश के नागरिक अपने स्थानीय निकायों में अधिक से अधिक स्पष्ट रूप में तथा निकट से देख सकते हैं।

चूंकि स्थानीय निकाय प्रजातन्त्र की आधार शिलाएं हैं एवम् इनके सशक्त और सुदृढ होने से ही प्रजातन्त्र सफल हो सकता है तथा स्वस्थ प्रजातान्त्रिक परम्पराओं का निर्माण हो सकता है।

चूंकि देश के प्रजातान्त्रिक ढांचे में स्थानीय निकायों का इतना महत्वपूर्ण स्थान होने पर भी उनके कर्मचारी उपेक्षित एवम् निरीह अवस्था में हैं

चूंकि इन स्थानीय निकायों के विकास के साथ साथ इन कर्मचारियों की अवस्था में सुधार करना आवश्यक है, और

चूंकि जिस प्रकार भारत के विभिन्न नगरों एवम् ग्रामों में स्थापित विभिन्न स्थानीय निकायों के प्रयोजन में समानता है उसी प्रकार इन कर्मचारियों की समस्याओं एवम् आवश्यकताओं में भी समानता है।

अतः राजस्थान म्युनिसीपल कर्मचारी संघ की केन्द्रीय समिति यह निश्चय करती है कि देश के सभी राज्यों के स्थानीय निकायों में काम करने वाले कर्मचारियों के प्रतिनिधियों का एक अखिल भारतीय स्तर का संगठन बनाया जावे, जिससे देश के विभिन्न भागों में बसे हुए कर्मचारियों में पारस्परिक भ्रातृभावना पैदा होने के साथ साथ उन्हें अपनी समस्याओं पर विचार करने एवं उनका हल ढूंढने का अवसर मिल सके।

[signature]

RESOLUTION No. 4.5.

ON LABOUR ADVISORY BOARD.

The Executive Committee of the Rajasthan Municipal Employees Federation in its meeting dated 7th & 8th Dec.,1958 at Kishangarh took into consideration the correspondence done by the General Secretary of the Federation viz a representative of the Rajasth Municipal Employees Federation should be taken on the Labour Advisory Board, and expresses its satisfaction over the same. The reply of the Secretary, Labour Advisory Board, Government of Rajasthan,Jaipur vide his No.F.L.A.B/Wel./58/20403 dated 1-8-58 may be said to rather heartening and encouraging.

The Executive once again reiterates its demand and hopes that the Government will meet the same and appoint Shri Ramchandra Sharma, the General Secretary of the Rajasthan Municipal Employees Federation as the representative of the Federation on the Labour Advisory Board at the time of the reconstitution of the Board which we hope will be done soon.

The demand of the Federation for the representation on the Labour Advisory Board is so reasonable and just that it hardly requires any justification. The constitution of the Board even as it exist today, represents all the various interests and sections of the employers and the employees of both private as well as public section so much so that the Director of Local Bodies is also there as a Government representative, representing as an employer in the Local Bodies. But regret to state that the employees of the Local Bodies have been given no representation.

The Executive, therefore, hopes that the Govt., will do justice now with the employees of the Local Bodies and appoint the General Secretary of the Rajasthan Municipal Employees Federation as their representative on the Labour Advisory Board.

प्रस्ताव स० ५

राजस्थान सरकार ने न पालिका मे काम करने वाले चतुर्थ णी म्युनिसीपल कर्मचारियो से ओवरटाइम और जे कार्य न लेने हेतु रा-आदेश (सं० एफ ६ (७७) एल एस जी/५८ दिनां -६-५८) निकाला था ।

चूंकि उक्त राज्यादेश के लागू होने उपरान्त भी नगरपालि-ओ मे चतुर्थश्रेणी कर्मचारियो से कार्यालय समय द और अधिकारियो के घर पर नीजि कार्य लिया जा रहा है ।

चूंकि किन्ही किन्ही नगरपालिकाओ मे कर्मचारियो को अधि-यो के घरो पर रख लिया जाता है, जिन्हे १२-१२ और १६ घन्टे काम करना पड़ता है ।

चूंकि घरो पर कर्मचारियो से म्न स्तर का कार्य लिया है; जो कि एक स्वतन्त्र देश के नागरिक के न के विरुद्ध है ।

चूंकि कार्यालय समय मे कर्मचारि घरो पर रख देने नगरपालिकाओ के कार्य मे बाधा उत्पन्न होती र्वजनिक हित की दृष्टि से और नगरपालिका के कार्य को ान मे हुए यह जरूरी कार्यालय के समय मे कर्मचारियो से नीजि कार्य न जाय ।

चूंकि ओवरटाइम, लिये जाने वाले की, कर्मचारियो को कोई मुआवजा नही दिया जाता है ।

अतः केन्द्रीय समिति ~~[illegible]~~ ज्य सरकार और नगर-पालिका सदस्यो से निवेदन करती है कि नगरपालिकाओ के चतुर्थ श्रेणी कर्म-रियो से कार्यालय समय के बाद तथा अधिकारियो रो पर नीजि कार्य से फौरन बन्द करावे । समिति यह भी मांग करती है कि जिन जिन रियो ने राज्य सरकार आदेश (स० एफ ६ (७७ ल एस जी/५८ दिनांक १-६-५८) की अवहेलना की है, उनके विरुद्ध राज्य सरकार कार्यवाही क

२ ५ [signature]

प्रस्ताव सं० ७

राजस्थान म्युनिसीपल कर्मचारी संघ के विधान के अन्तर्गत प्रान्त के छः डिवीजनस किये गये है और प्रत्येक डिवीजन के लिये एक क्षेत्रीय समिति (Divisional Committee) होगी।

परन्तु विभिन्न संगठनो एवम् केन्द्रीय समिति के सदस्यो की शिथिलता के कारण अभी तक उक्त समितियों का गठन नहीं हो पाया है।

चूंकि केन्द्रीय समिति भी यह महसूस करती है कि एकायक क्षेत्रीय समितियों का निर्माण नहीं किया जा सकता है। लेकिन मजबूत संगठन निर्माण की दृष्टि से क्षेत्रीय समितियों का गठन करना अत्यावश्यक है।

अतः केन्द्रीय समिति की यह सभा निश्चय करती है कि क्षेत्रीय समितियों के गठन से पूर्व प्रत्येक क्षेत्र (Division) को विभिन्न हिस्सों में बांट कर सर्व प्रथम छोटे - छोटे स्तर पर संगठन बनाये जायं।

केन्द्रीय समिति फेडरेशन को मजबूत बनाने एवम् जहां संगठन (Unions) नहीं है, वहां यूनियन बनाने के लिये संगठन - समितियां बनाने का निश्चय करती है। प्रत्येक क्षेत्र (Divisions) को विभिन्न हिस्सों में बांटकर संगठन समितियां बनाने और उनके संयोजक नियुक्त करने का कार्य फेडरेशन के मंत्री को सौंपती है।

केन्द्रीय समिति अपने समस्त सदस्यों, संगठनों और संयोजकों से निवेदन करती है कि अगली बैठक के पूर्व अधिक से अधिक संगठन ( ) बनाने का प्रयत्न करें।

[signature]

प्रस्ताव - ८

राजस्थान म्युनिसीपल कर्मचारी संघ की केन्द्रीय समिति, प्रतिनिधि सभा एवम् अन्य समितियों में भाग लेने के लिये तथा संगठन सम्बन्धी कार्य में जाने हेतु अधिकांश सदस्य अपने निजि खर्च से जाते है। परन्तु उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण सदस्यगण बैठकों आदि में सम्मिलित नहीं हो सकते और न वे संघ के कार्यों में रुचि ही लेते है।

चूंकि सदस्यगण बैठकों आदि में स्थानीय संगठन (Local unions) के ही प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित होते है।

अतः राजस्थान म्युनिसीपल कर्मचारी संघ की केन्द्रीय समिति संकल्प करती है कि सदस्यगण फेडरेशन की बैठकों में सम्मिलित हों या संगठन हेतु कहीं जायं तो उनका वास्तविक व्यय यात्रा - व्यय (T. A.) स्थानीय संगठन (Local Unions) ही दे।

परन्तु फेडरेशन के अध्यक्ष एवम् मन्त्री का खर्च फेडरेशन के कोष से ही दिया जायगा।

[signature]

29 AUG 1959

UNDER CERTIFICATE OF POSTING

Tel: 28152

MUNICIPAL MAZDOOR UNION, BOMBAY

204 CHARNI ROAD,
BOMBAY 4.

Ref. No. MMU/53/ 2248/59.

28th August, 1959.

297

Dear Shri Dange,

I am enclosing herewith for your information the resolution passed by the Managing Committee of my Union at its meeting on 25.8.1959 regarding the B.E.S.T. workers' dispute.

Yours faithfully,

George Fernandes,
General Secretary.

Encl: 1.

Shri S.A. Dange, M.P.,
General Secretary,
All India Trade Union Congress,
New Delhi.

Resolution passed by the Managing Committee of the Municipal Mazdoor Union on 25.8.1959.

....

This meeting of the Managing Committee of the Municipal Mazdoor Union regrets to note the attitude of the B.E.S.T.Committee and of the Samyukta Maharashtra Samiti Corporation Bloc towards the genuine demands of B.E.S.T. workmen. It is unfortunate that the Corporation should continue to be callous toward the workers' demands and thus create a situation in which the workmen are left with no alternative but to resort to direct action. It is this very unhelpful attitude of the leaders of the Corporation that brought about 3 strikes of Municipal workers during the past three years.

The Managing Committee hopes that the members of the B.E.S:T Committee are aware of the consequences of a strike of B.E.S.T.workmen, should such a strike take place. The Managing Committee also hopes that the leaders of the Samiti Party in the Corporation will not allow the situation to take a turn wherein the B.E.S.T.workmen will have to take recourse to strike action to achieve their just and legitimate demands. Should, however, the leaders of the Corporation and the members of the B.E.S.T. Committee fail to understand their responsibilities and provoke the B.E.S.T.workmen to resort to a general strike, the Municipal workmen of Bombay will stand by their co-workers in the B.E.S.T. Undertaking and extend to them all possible support.

(227)

September 8, 1959.

Com. R. Sharma,
Secretary,
Rajasthan Municipal Employees Federation,
Udaipur. (Rajasthan).

Dear Comrade,

Please refer to your letter dated May 15, regarding your proposal for an India Municipal District Board Employees Union Conference to be held in September 1959. But we have not heard anything from you so far in this connection.

Will you please let us know the position regarding the conference as unions from different centres are enquiring about the same.

An early reply is awaited.

With Greetings,

Yours fraternally,

(K.G. SRIWASTAVA)
SECRETARY.

165/59 22 SEP 1959

म्युनिसिपल कर्मचारी फेडरेशन
उत्तर प्रदेश
१२/१, ग्वालटोली, कानपुर

16/9/59

Dear Comrade,

we have written you & comrade Ramchander to know the date of the conference for Municipal & District Boards Employees which you wrote will be held in September. Your have ~~bee~~ written any date about it. Please reply us soon so that we may inform to all our units about it.

Yours Comradely
S. P. Sinjal
Secretary

Rep. the conf. is postponed. Fresh dates will be announced in TUR later.
[illegible] 22/9

297

September 22, 1959.

Dear Comrade,

Your post card dated September 16, 1959.

The conference is postponed. Fresh dates will be announced in the Trade Union Record.

With Greetings,

Yours fraternally,

(K.G. SRIWASTAVA)
Secretary.

The Secretary,
Municipal Karmachari Federation,
12/1, Gwaltoli,
KANPUR. (Uttar Pradesh).

Copy forwarded with compliments to The Secretary A.I.T.U.C., NEW DELHI with a request that if this information is available eith them, it may kindly be supplied to us.

1359

Rajasthan Municipal Employees Federation

(Rajasthan)

Head Office:--Udaipur

Ref No. RMKS/U-G/2426/59-60

Dated 23rd September 1959.

Com. K.G.Shrivastava,
Secretary, All India Trade Union Congress,
4, Ashok Road,
NEW DELHI.

Dear Sir,

I am thankful to your for your letter dated the 8th instant the receipt of which I acknowledge with gratitude.

While appreciating your interest in the proposed Conference I much regret to state that so far I am awaiting for initial replies from various Unions spread all over the Country and hence I am forced to postpone the proposed date from September to 2nd Week of December so that all arrangements can be suitably and satisfactorily finalised upto that time.

It will help us a great deal if you will write to Secretaries of various Unions under your control to send replies to our first communication so that we can move further in the matter.

You may be aware that our Federation is in an infancy and I am desirous of erecting it on a sound basis of constitution. It will help me a great deal if you will be kind enough to let me have copies of Constitutions of All India Bodies like that of your ownself, or the Postal Union or the Bank Union so that we can study the same and in the light of the same we can draft our own Constitution. I hope you will appreciate our viewpoint and let us have the requisite details at your earliest.

297

September 30, 1959

Com. R.C.Sharma,
Secretary,
Rajasthan Municipal Employees
Federation,
UDAIPUR, Rajasthan.

Dear Comrade,

Thank you for your letter No.RMKS/V-G/1426/59-60, dated 23rd September, 1959.

2. As regards writing to the secretaries of various unions affiliated to us, we may inform you that we have already issued a circular to our unions connected with Local Self Government.

3. A copy of our constitution is being sent to you. As regards constitution of the P&T Federation and the Bank Employees Federation, please write to them directly. Their addresses are enclosed herewith.

4. We feel that at this stage you should not think of inviting delegates from foreign countries. At a later stage we can think of it. You can of course correspond with them. The address of Public & Allied TUI is also enclosed, who [illegible] you in this [illegible]

With greetings,

Yours fraternally,

(K.G.Sriwastava)
Secretary

Encl: 2

297

November 19, 1959

Dear Comrade,

Corporation Labour Union, 38 Singanna Chetty Street, Chintadripet, Madras 2, requires detailed information available with you regarding the wage scales etc., in your centre.

Please send the necessary information directly to the union with a copy to us.

With greetings,

Yours fraternally,

19/11

(K.G.Sriwastava)
Secretary

1. Name:- National Democratic Union of Workers राष्ट्रीय प्रजातान्त्रिक

2. Office:-

The office of the union shall be ~~lockated~~ located in Delhi with its present address at 3135 Gali Naqaichiyan Turkman Gate. Delhi

3. Aims and Objects:

The aims and objects of the Union shall:-

a) to better the economic, social and educational condition of the members, to safeguard their interest and improve their working conditions by all legitimate:

b) to settle all disputes amongst members and between employees and employers by peaceful and emicable means:

c) to render monetary aid to members in distress, such as temporary unemployment, sickness of a serious nature or sudden death;

d) to foster amongst the members the spirit of brotherhood and co-opr-ation.

Purposes for which the funds of the Union shall be ~~applicaiton~~.applicabl

4. The general funds of the Union shall not be spent on any other objects then the following, namely:-

a) the paymentof salaries, allowance and expenses to offices of the Union:

b) the payment of expenses for the administration of the Union, Includi ng audit of the accounts of the general funds of the Union.

c) the prosecution or any legal proceedings to which the Union or any member there of is a party when such prosecution or defence is undertaken for the purpose of secuting or protecting any rights of the Union as such or any rights arising out of the relations of any member with his employer or with a person whom the member employs:

d) allowanceto members or ~~thair~~ their dependents on account of death, old age, sickness, accident or unemployent of such members;

e)the payment, in furtherance of any of the objects on which the general

funds of the Union may be spent, or contributions to any cause intended to benefit workmen in general, provided that the expenditure in respect of such contributin in any financial year shall not at any time during that year be in excess of one fourth of the combined total of the gross income which has upto that time accrued to the general funds of the Union during that year and of the balance at the credit of those funds at the commencement of that year.

5. Membership

a) Any employee of the Municipal Committee (e.g Time-keepers, Drivers Peons, and labourers etc.) shall be entitled to become a member of the Union on filling in the enrolment from and agreeing to pay annas 4 as admission fee which will be paid annually.

b) If a member is in arrears of subscriptions for three consecutive months, he shall in the first instance, not be rmoved from the register of members. He shall be given fifteen days time in which to submit his explanation, If he fails to do so, even after the period of grace, the Secretary eill then put up his case before the President in an Executive Committee meeting and the Executive Committee may order the removal of his name from the register of members, if it deems fit.

c) A person who ceases to be member under Rule5(b) may be re-admitted as an ordinary member of the Union on payment of As-/8/- as admission fee. But unless he clears his arrears within a month from the date of his re-admission, he shall be reckoned as a new menber.

d) A person who ceases to be member of the Union shall forthwith be disentitled from exercising the rights of a member and shall have no claim on the funds and benefits of the Union.

There will be no honorary membership of the Union.

Register of members;

6. (a) The Union shall maintain a Registerof its members containing their names, addresses etc.

(b) This Register shall always be complete in its details and/shall be open to inspection by the members and officers from 10A,Mto 4 P.M on all working days.

7. (a) No one shall collect the subscription of the Union from the members who is not either

I

i) A member of the Executive committee whose name has been published or otherwise notified for the information of the members.

ii) Be an official of the Union.

iii) A person holding an authorisation card signed by the Secretary of th Union, issued to him in accordancewith a resolution of the Exoutive Committee.

8. The Union shall issued one Receipt Book at a time with counterfoils, to each person authorised to collect subscriptions. The latter shall give a signed receipt for any um collected. He shall deposit it in the office of the Union. The Teasurer shall compare the amount paid in with the book of counterfoil receipts and issue to ~~xixm~~ him a receipt for the total amount paid. Tje receipt so issued shall be pasted to the last counterfoil in the receipt book on the day of the deposit of collection. Before a new receipt book is issued, the finished book shall be deposited in the office of the Union.

9. A member may be exmoted from the payment of subscription in respect of any period during which he has been completely out of employment and has not earned any wages.

10. Any membe found/guilty of working against th interests of the Union shal be asked by the Secretary to submit a written expanation with in 7 days and if the explanation is found unsatisfied by the Executive Committee it will appoint a Sub-Committee his name shall be removed from the list of membership subject to ratification by the General body in their next meeting whose decision shall be final.

Executive Committee.

11. The Union shall have an Executive Committee with the following office-bearers elected at the Annual General Meeting.

One President, One Vice-President, One Secretary, One Asstt.-Secretary , One Treasure-cum-Acount and four other members.

Appointment of Executive Committee.

1
12. Offices bearers shall hold office for one year, at the end of which the Annual General Meetinf shall make fresh elections. A retiring member may return to office if he is re-elected at th Annual General Meeting by

a majority of votes.

13. No xxxxxx ordinary member shall xxxx be eligible for election to the Executive Committee Unless he has been an ordinary member continously for six months prior to his election to the Executive Committee and has paid all subscriptions.

14. INTERIM cacancies in the ranks of members of the Executive Committee shall be filled up by the Executive Committee by way of cooption up to 50% of its strength subject to ratification by the members at the next General Meeting.

Removal of offices Bearers.

15. A member of the Executive Committee absenting himself, without notice, from four consecutive meetings of the Committee shall be liable to removal from the Executive Committee, at its discretion, and then shall become an ordinary member of the Union.

A vacancy thus caused shall be filled up by the Executive Committee as laid down in Rule 14.

16. The presence of at least 5 members of the Executive Committee, shall be necessary to form a quorum.

17. The Executive Committee shall hold meetings in the course of the year at which the President or in his xxxxx absence the Vice-President shall preside. If by chance both, the President and the Vice-president, are absent at any of the Executive Committee meetings the executive members shall appoint any one from amongst themselves to hold the chair.

18. If a meeting is adjourned for want of quorum it may be convened again within three days after the first meeting in which the condition of quorum shall be waived but no buisness other than that proposed to be considered at the meeting in which the adjourment took place shall be transacted at any adjourned meeting.

19. Before calling an Executive Committee xxxxxxx meeting the Seceretary shall issue a notice to the executive members two days in advance of the date fixed. This notice shall also contain the subjects to be discussed at the meeting proposed to be held.

20) Emergent meeting of the Executive Committee may be called the Secretary with 24 hours notice.

21) All important questions shall be decided by a majority of votes but in case of equality of votes the President or Chairman may use his casting vote.

22) In case of emergency, the Executive Committee may call a general Meeting of the members. A final annual General Meeting shall be held within 90 days of the close of the financial year to elect new office bearers.

23) The Executive Committee may invite any outsider whom it considers to be a respectable and influential persons as visitor to the meetings of the Executive Committe or the General body. Such person will enjoy the right of xxxxxxx speech by permission of the Chair, but will not be allowed to vote.

24) The annual General Meeting shall also pass the accounts and the Committees report of the previous year and appoint an auditor in accordance with the provisions of Delhi Trade Union Regulation 1927 to audit the books of the Union.

25) NO Generral meeting shall be held without at least 50 percent members of the union being present.

Function of the Office-bearers.

26) The Persident shall preside over all the meetings of the Union and shall be the Chief Authority of the Union.

27) The Senior Vice President shall preside at the Meetings of th Union and perform all the duties of the president in his absence.

28) The Secretary shall be in sharge of the Office and management of the meetings, etc., of xxx the Union. He shall see that all books and accounts of the Union are kept in order.

29) The Seceretary shall call the meetings of the Union, record proceedings thereof compile all reports and returns and carry out all correspondance on behalf of the Union. The xxx Secretary shall submit before the Executiv Committee every six months a statement showing the Receipts and Disbursements and similarly yearly statements before the Annual General Meeting of the union.

30) The Secretary or in his absence the Assistant Secretary shall be authorised to spend a sum not exceeding Rs5/- at a time and Rs10/-and any one month for office expenses and contingencies. Expenditure of above Rs10/- and up to 20 xxxxx shall require the previous sanction of the president in

writing and that of above Rs20/ shall be placed before the Executive Committee for sanction.

31) It shall be the duty of the Secretary, or in his absence the Assistant Sec.

a) to conduct the correspondence of ~~xxx~~ the Union and to sign all letters emanating from it and under its direction;

b) to attend all meetings and to take notes of the proceedings;

c) to read at the commencement of every meeting, the minutes of the previous meeting;

d) to enter in the minute books all the proceedings;

e) to exercise general supervision over the affairs of the Union;

f) to maintain a complete list of the members;

g) to prepare an Annual Report of the activties of the Union.

Treasurer

32) It shall be the duty of the Treasurer;

a) to receive subscription and any other moneys due to the Union anddeposi themin the Palia Central Bank or the Municipal press Employees ~~xxxxx~~ Co- operative Thrift Credit Society by the 5th of each month, keeping with him a cash balance not exceeding Rs/-.

Benefits

33) If a members of the Inion dies and leaves his family in want of funds for funeral ~~xxxxxxxxx~~ expenses the Union shall if approached, render financial assistance to the family of the deceasedmember, if funds permit

34) Condition of Benefits.

No member of the Union shall be entitled to any benefits that the Union shall decide to give to its members unlesshe has been a member for at least six months and has paid all sunscription.

Fines:

35) Any member of the Union found to be unruly or misbehaving or acting against the order of the President at any meeting after prper warning will be liable to a fine to the extent of Re.1/- for shall be turned out of the meeting at the discretion of the President. The President or the Executive Committee shall, however have power to vary or rescind any order.

Amendment to the constitution.

36. The contitution of the Union may be amended, rescinded or revised by a majority of members in a Genral Body Meeitng and intimation about every amendment shall be sent to the Registrar within 15 days. No amendment shall be enforced until registered by the Registrar and a notice therefore is received by the Union

37. Perposal:

The Committee shall consider any proposal in of the objectso of the Union provided that it is sighed by at least 20 members of the Union and is fully supported by them.

38. The Secretary of the union after obtaining permission of the Executive Committee may reject a complaint and shall do so if:-

a) the complaint appears ti the Secretary and th President to be trivial unreasonable false or such as clashes intersts of two parties;

b) the comlaint is not a member of the Union or though a member has not paid the subscription for the previous quarters;

c) the complaint has in the opinion of the Secretary and President, prejudiced his case by an unauthorised action of his own.

Safe sustody of funds.

39. a) The funds of the Union shall be deposited in the palai Central Bank or Municipal Press Employees Co-operative Thrift CreditSociety in the name of the Union.

b) No withdrawal of money shll be made from the Palai Cental Bank or Municipal Press Employees Co-operative Thrift Credit Society except under the signature of the Seretary and the Treasure.

Annual Audit of the Accounts:

40. The account of the Union shall be kept in such simple form as may be approved of by the Executive Committee and shall be closed on the 31st March each year. The accounts shall be audited annually by appointed by the by the Executive Committee in accordance with the provision of Delhi

Trade Union Regulation 1927. The auditor shll audit and examine the account

and shall certify to the correctness of the balance sheet which shall be included in the Annual Report.

Facilities for Inspection:

41. All account books of the Inion shall be open to inspection by members and officers of the Union during working hours of th Press on all working days.

Dissolution

42. The Union shall not be dissolved except by a majority of 3/4 votes of the members present at a General Meeting, provided that the votes cast at such a meeting are not less than 3/5 of the total number of the Union.
After the dissolution the funds shall be distributed amongst the members in accordance with a resolution to be passed at the (dissolution) General Meetings.

Sd/- President.

FORM A.

APPLICATION FOR REGISTRATION OF TRADE UNION.

Dated the 23 day of नवम्बर 1976

1. We hereby apply for the registration of trade union under the name of राष्ट्रीय प्रजातन्त्रीय कर्मचारी संगठन (NATIONAL DEMOCRATIC UNION OF WORKERS) दिल्ली नगर पालिका

2. The address of the head office of the union is ____________

____

3. The union came into existence on the 13 day of नवम्बर 1976.

4. The union is a union of employers/workers engaged in the industry (or profession).

5. The particulars required by Section 5(1)(c) of the Indian Trade Unions Act, 1926, are given in Schedule 1.

6. The particulars given in Schedule II show the provision made in the rules for the matters detailed in section 6 of the Indian Trade Unions Act, 1926.

7. (To be struck out in the case of unions which have not been in existence for one year before the date of application). The particulars required by section 5(2) of the Indian Trade Unions Act, 1926, are given in Schedule III.

8. We have been duly authorised to make this application by*

Name.	Signature.	Occupation.	Address.
1.	[illegible]	कर्मचारी	भवन विभाग दिल्ली [illegible]
2.	[illegible]	Peon	Delhi [illegible] Colony.
3.	[illegible]	Peon	[illegible] Colony [illegible] No. 1557
4.	[illegible]	[illegible]	" " " No. 342
5.	K. N. [illegible]	OVERSEER	103 Dariya Ganj 2nd Floor DELHI-7
6.			
7.			

*State here whether the authority was given by a resolution of a general meeting of the Union, if not what other way it was given.

SCHEDULE 1.

List of Officers.

	Title	Name.	Age	Address	Occupation
१,	अध्यक्ष	श्री एस. के. वर्मा			
२,	उपाध्यक्ष	श्री बूटा राम	३२	१६५, डी. एम. सी. क्वार्टर्स आजादपुर	Peon DMC
३,	सचिव	" श्यामीलाल	३३	३१३५, गली [illegible] चित्रगुप्त मार्ग	डिमोलिशन इन्सपेक्टर दिल्ली नगर पालिका।
४,	उपसचिव	" ~~भगवान~~ स्वामीदयाल	१८	२५४० नईसड़क देहली ६	असिस्टेन्ट सैनटरी
५,	कैशियर	" गोविन्दराम			
६,	आडीटर	" के. सी. गोयल			

कार्य कारिणी समिति सदस्य

	Title	Name.	Age	Address	Occupation
१,	"	" श्री रहमत उल्ला	३२	C/o. T.T. Deptt. DMC	Moharrir DMC
२,	"	" रघुनाथसिंह	32	कूचा [illegible] तराहा बैहराम खां जाटवाड़ा H. No 910	Peon Enquiry office DMC Town Hall
३,	"	" छोटेलाल			
४,	"	" जसवन्तसिंह	३५	C/o Labour of overseer opposite DMC Deptt. Jamma Bazar Delhi	ड्राइवर इन्जीनियरिंग डिपार्ट. दि. म्यु. कमेटी
५	"	" गोपाल			
६,	"	" महफूज खां	–		
७,	"	" किशनचन्द	३५		

SCHEDULE II.

Reference to Rules.

The numbers of the rules making provision for the several matters detailed in column 1 are given in column 2 below:-

Matter.	Number of rules.
Name of union [illegible]	
The whole of the objects for which the union has been established [illegible]	
The whole of the purposes for which the general funds of the union shall be applicable	
The maintenance of a list of members -..........	
The facilisties provided for the inspection of the list of members by officers and members....	
The admission of ordinary members.............	
The conditions under which members are entitled to benefits assured by the rules...............	
The conditions under which fines or forfeitures can be imposed or varied......................	
The manner in which the rule shall be amended, varied or rescinded	
The manner in which the members of the executive and the other officers of the union shall be appointed and removed.........................	
The safe custody of the funds	
The annual audit of the accounts	
The facilities for the inspection of the account books by officers and members	
The manner in which the union may be dissolved..	
The admission of honorary or temporary members..	